बिहार विधान-सभा वादवृत्त

मंगलवार, तिथि 10 जुलाई, 1990 ई०

(भाग-2 कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित)

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-वितरण।

सभा का अधिवेशन पटना के सभा सदन में मंगलवार तिथि 10 जुलाई, 1990 को पूर्वाह्न 11.00 बजे अध्यक्ष, **श्री गुलाम सरवर के सभापतित्व में प्रारंभ हुआ।**

पटना :
तिथि : 10 जुलाई, 1990 ई०

चन्द्रशेखर शर्मा
सचिव
बिहार विधान-सभा

लाखों किसानों को भुखमरी से बचाने हेतु जनहित में सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं।

श्री भोलाराम तूफानी : अध्यक्ष महोदय, समय दिया जाय। इसका उत्तर 21.7.90 को सरकार दे देगी।

अध्यक्ष : ठीक है। 21.7.90 को इसका जबाव सरकार दे दे। स्थगित।

(ख) अनन्त सिंह एवं अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी।

श्री रमेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, पटना जिलान्तर्गत बाढ़ थाना के ग्राम-धनामा के कम्युनिस्ट कार्यकर्त्ता, श्री भोला सिंह का दिनांक 29-4-90 को अपहरण सर्वश्री अनन्त सिंह, भूषण सिंह, रणजीत सिंह, पप्पू सिंह आदि के द्वारा किया गया और चर्चा है कि उनकी हत्या कर दी गई है। श्री अनन्त सिंह एक अपराधी चरित्र के व्यक्ति हैं। जो बाढ़ थाना काण्ड संख्या-9(1) 79, 21 (3) 80, 149 (82), 15 (5) 79, 9 (1) 80, 3 (9) 80, 45 (8) 83, 133 (90), एवं अन्य केशों के अभियुक्त हैं। पुलिस राजनीतिक दबाव के कारण इनको गिरफ्तार करने में अभी तक विफल रही है। आम लोगों में काफी असंतोष एवं दहशत है।

अतएव अनन्त सिंह एवं अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, इस पर समय दिया जाय।

अध्यक्ष : ठीक है। इसको स्थगित किया जाता है।

(इस अवसर पर काफी शोरगुल हो रहा था।)

श्री रमेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुन लीजिये

श्री भोला राम तुफानी : इसका जबाव 21 तारीख को दिया जायेगा।

(इस अवसर पर कम्युनिस्ट पार्टी के सभी सदस्य अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर बोलते देखें गये जिससे काफी शोरगुल हो रहा था।)

श्री रमेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी अभी बैठे हैं। जो मुख्य अभियुक्त है और 302 का एक्यूज्ड है वैसे अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सरकार को क्या दिक्कत है।

अध्यक्ष : सरकार ने इसमें समय मांग लिया है।

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण सूचनायें माननीय सदस्य ने लाया है और उसपर सरकार ने समय मांगा है। समय मांगने का यह मतलब नहीं हुआ कि गिरफ्तारी में समय मांगा है। बल्कि जो ध्यानाकर्षण सूचनायें माननीय सदस्य लाये हैं उसपर सरकार ने समय मांगा है और उसका जबाव सरकार समय पर देगी और फिर उस पर सवाल जवाब होगा। लेकिन जो भी मुकदमें सारे बिहार में लम्बित हैं उसमें गिरफ्तारी के मामले में कहीं किसी को रोक नहीं है। पुलिस सक्षम हैं।

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर उपाध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : अब वित्तीय कार्य लिए जायेंगे।

वित्तीय-कार्य : वर्ष 90-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर मतदान : "शिक्षा, खेल और युवा सेवाएं तथा कला और संस्कृति" :

श्री रामजीवन सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि शिक्षा, खेल और युवा सेवायें तथा कला और संस्कृति के संबंध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होनेवाले वर्ष के भीतर भुंगतान के दौरान में जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 12,46,00,95,500- (बारह अरब, छियालिस करोड़, पंचानवें हजार, पांच सौ) रु॰ से अनधिक राशि प्रदान की जाए।"

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री राजो सिंह कटौती का प्रस्ताव मूभ करें।

श्री राजो सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राज्य सरकार की शिक्षा, खेल, और युवा सेवायें तथा कला और संस्कृति नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए इस शीर्षक की मांग 10/- से घटायी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कटौती का प्रस्ताव पेश किया है और हमारे बदले श्री युगेश्वर झा जी, जो एक प्रोफेसर हैं और शिक्षा विभाग से संबंध रखते हैं, बहस करेंगे।

श्री युगेश्वर झा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री राजो सिंह द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है, उसके समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष

महोदय, शिक्षा जीवन का एक आवश्यक अंग है। जिस तरह से मस्तिष्क मनुष्य जीवन का आवश्यक अंग होता है, उसी तरह शिक्षा समाज और राष्ट्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है। लेकिन वर्त्तमान सरकार शिक्षा को जिस दृष्टि से देखा है, उसका एक उदाहरण है कि शिक्षा विभाग के कोई स्वतंत्र मंत्री नहीं बनाये गए हैं, ये प्रभारी मंत्री हैं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री को फुर्सत नहीं है कि वे इसको देखें। इनकी सरकार को बने 4 महीने हो गए लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में एक भी उल्लेखनीय काम नहीं हो पाया है। पिछली सरकार ने कल्याणकारी कार्य के लिए जो प्रस्ताव पेश किया था, उसमें भी इन्होंने बाधा पैदा किया है और उसको रोक रखा है। इनके विधायक और मंत्री कहते हैं कि पिछली सरकार का काम डपोरशंखी था। तो मैं तथ्यों के आधार पर कहना चाहता हूं कि इनका काम डपोरशंखी है। आपकी पार्टी की सरकार वर्ष 1967, 1977 में बनी और आज भी आपकी यानि जनता दल की सरकार है। आप देखें कि वर्ष 1967 में शिक्षा की क्या हालात हुई। वर्ष 1977 में लोगों ने कहा कि चोरी से सरकार बनी है, इसलिए हम चोरी से पास करेंगे। यही इनकी देन है। वर्ष 1980 में जब डा० जगन्नाथ मिश्र के नेतृत्व में सरकार बनी तो उस समय खजाना खाली था, लेकिन फिर भी तीन हजार माध्यमिक विद्यालयों का अधिग्रहण किया गया तथा करीब 20 हजार प्रा० विद्यालयों का अधिग्रहण किया गया। उस समय सवा दो सौ कॉलेजों को अंगीभूत किया गया। प्राथमिक विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों का अधिग्रहण किया गया। उस समय शिक्षकों को दरमाहा मिलता था या नहीं। उस समय एक हजार करोड़ का

बजट था। उसमें से साढ़े छः करोड़ शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को देना था। साढ़े तीन सौ करोड़ के बजट में कोई उपबंध नहीं था। प्राथमिकता के आधार पर हमारी सरकार ने कर्मचारियों और शिक्षकों को वेतनमान दिया।

डॉ० जगन्नाथ मिश्र ने जो जनकल्याण की योजनाएँ स्वीकृत की थी, उसमें साढ़े तीन सौ करोड़ लगे थे। साढ़े छः सौ करोड़ का प्रबन्ध किया था और साढ़े तीन सौ करोड़ का प्रावधान करने के लिये वित्त विभाग और योजना विभाग की स्वीकृति ली थी। बहुत सारी योजनाएं कार्यान्वित हुई। उन योजनाओं को आप पूरा कर सकते हैं। किन्तु, आपके लालू जी के भाषण में चार महीनों में हुए एक भी नये कार्य का जिक्र नहीं है, एक भी नया कार्य नहीं चलाया गया है। जो पुराने कार्यक्रम थे, उनको भी, चलाने की आपकी पता नहीं मंशा है कि नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के भाषण की प्रति देखिये और मुख्य मंत्री जी का भाषण देखिये, मार्च के बजट भाषण को देखिये उसमें इन्होंने कहा है कि शिक्षा का गुणात्मक विकास करेंगे, समय पर हम वेतन देंगे, इण्टरमीडिएट और डिग्री कॉलेज को वित्त सहित करेंगे। इन्होंने कहा था कि जय प्रकाश नारायण विश्वविद्यालय खोलेंगे, जो अभी तक लागू नहीं किया गया है। वित्त रहित शिक्षा को वित्त सहित लागू करेंगे। इन्होंने कहा था कि हम इंटरमीडिएट कॉलेज, डिग्री कालेज और वेटनरी कॉलेज का गुणात्मक विकास करेंगे। आज क्या हो रहा है?

श्री रवीन्द्र चरण यादव : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय।

मैं जानना चाहता हूं कि युगेश्वर झा जी बतायें कि वित्त रहित शिक्षा नीति का जन्मदाता कौन था ?

उपाध्यक्ष : व्यवस्था के नाम पर सूचना नहीं मांगी जाती है। व्यवस्था का मतलब होता है नियम के विपरीत अगर कोई बोल रहा है, तो उस पर व्यवस्था होती है।

डॉ० शकील अहमद : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है।

सदन की यह परंपरा रही है कि ट्रेजरी बेंच पर कोई माननीय सदस्य नहीं बैठ सकते हैं, अगर बैठे हैं तो सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते हैं वहां से, वह सरकारी बेंच है, आप नियमन दें कि वह अपनी सीट पर जाकर बैठ जायें।

श्री युगेश्वर झा : शिक्षा की अर्थव्यवस्था के बारे में कहा गया। स्वयं मुख्य मंत्री जी ने कहा था, एक अखबर में "यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन बिहार" कॉलम में निकला था, कि हम शिक्षा माफिया को खत्म करेंगे। इन समस्याओं का इन्होंने उल्लेख किया था। उन्होंने हास्यास्पद वित्त रहित शिक्षा के बारे में कहा था। आज राजो जी ने चर्चा की, हमारे मुख्य मंत्री जी नौजवान हैं, नये मुख्यमंत्री हुए हैं, जवान हैं, अवश्य कुछ सुधार करेंगे, चार महीने के अंतराल में कुछ नहीं किया। इन्होंने कहा था, भी०सी० को हटायेंगे ....

उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने वाइस चान्सलर को हटाया। शिक्षा विभाग और मुख्यमंत्री को यह अधिकार है कि आप या इस चान्सलर को हटा सकते हैं लेकिन इनके पिछले तीन महीने के परफार्मेन्स को देखकर आपने वैसा नहीं किया है।

जिस तरह से आपने वाइस चान्सल को हटाने की अधिसूचना निकाली है, विश्वविद्यालय के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। उस अधिसूचना से कुलपतियों की मर्यादा दूषित हुई है। इतना ही नहीं, इन्होंने कहा-हम प्रति उपकुलपति को हटायेंगे, रजिस्ट्रार को हटायेंगे। सरकार को अधिकार भी है, वह हटा सकती है। ऐक्ट में आपको पावर है कि आप किसी भी पदाधिकारी को हटा सकते हैं लेकिन प्रेस में जाकर जो आप इन सारी बातों की सूचना दी, वह कुलपति नहीं बल्कि शिक्षा विभाग की मर्यादा को खत्म करता है। मुख्यमंत्री ने कहा, हम चोरी को खत्म करेंगे। आप जानते हैं कि इंजिनियरिंग प्रवेश के लिए टेस्ट परीक्षा हुई जिसका प्रश्न पत्र परीक्षा के पहले आउट हुआ। मेडिकल टेस्ट की जो परीक्षा हुई, उसके भी प्रश्न पत्र परीक्षा के पहले आउट हुए । माध्यमिक परीक्षा और इन्टरमीडियट परीक्षा जो हुई, इसने तो इतिहास ही तोड़ दिया। इतना कदाचार हुआ कि वैसा कभी नहीं हुआ था। ये कहते हैं, हम शिक्षा में सुधार करेंगे। इनसे शिक्षा में सुधार कैसे होगा ? उपाध्यक्ष महोदय, हम भी शिक्षक हैं। और जब हम विश्वविद्यालय में जाते हैं तो वहां के लोग कहते हैं कि जब मुख्यममंत्री भी इसी शिक्षा व्यवस्था के प्रोडक्ट हैं और जिस तरह से शिक्षा प्राप्त किया है वे किस तरह से शिक्षा में सुधार कर सकते हैं। इनके समय में सभी विश्वविद्यालय में फाइनेन्सियल इम्पलीकेशन बढ़े हैं तो इन्होंने चार महीने में क्या किया ? इन्होंने कहा था कि हम सभी शिक्षक को वेतन पहली तारीख को देंगे लेकिन आज शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है। जब डाक्टर जगन्नाथ मिश्र मुख्यमंत्री थे और हम मंत्री थे तो कृष्ण बहादुर समिति की रिपोर्ट की अनुशंसा

पर हमने विश्वविद्यालय के वित्तीय अनुदान जो ४5 करोड़ का था, उसको बढ़ाकर 14 करोड़ लिया और जो बकाये राशि थे उसको भुगतान का आदेश दिया नये वेतनमान में हमने सभी शिक्षकों को वेतन दिया। सरकार को पावर है कि हम विश्वविद्यालय के फाइनान्सियल की अमेंड कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने उस 141 करोड़ को घटा कर 120 करोड़ कर दिया। आज उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि पिछले चार महीनों से पटना विश्वविद्यालय में, रांची विश्वविद्यालय में मगध विश्वविद्यालय में, बिहार विश्वविद्यालय में और भागलपुर विश्वविद्यालय तथा ललित नारायण विश्वविद्यालय में शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि शिक्षा में जो कुव्यवस्था है उसको हम दूर करेंगे और फाइनान्सियल इम्प्लीकेशन को भी दूर करेंगे लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री के रहते शिक्षा में सुधार नहीं हो सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने बहुत जोर से कहा था कि भ्रष्टाचार को मिटायेंगे। और इसका उन्होंने एलान भी किया था। उन्होंने यह भी कहा था कि शिक्षा माफिया को हम खत्म करेंगे। ये सारी बातें उन्होंने अपने भाषण में कहा। जब वे मुख्यमंत्री हुए तो इन्होंने प्रथम प्रेस कान्फ्रेंस में कहा था कि इंटरमीडिएट और माध्यमिक, संस्कृत बोर्ड और मदरसा बोर्ड के मामलों पर हम विचार करेंगे उसकी कुव्यवस्था को हम दूर करेंगे। और आज आपको सुनने को मिलेगा कि इन्होंने कुछ नहीं किया। विश्वविद्यालय सेवा बोर्ड के अध्यक्ष को हटाने का पावर इनको है। बिहार मा० सेवा बोर्ड के ऐक्ट 81 में पावर है कि ये उनको हटा सकते हैं। हमने भी उस ऐक्ट के तहत ऐसा किया था और तत्कालीन अध्यक्ष को

हटाया था। लेकिन आज ये पावर रहते हुए भी ये काम नहीं कर पा रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये फाइनान्सियल इम्प्लीकेशन के चलते नहीं हटा रहे हैं। इसी तरह से मदरसा बोर्ड के चेयरमैन को हटा कर भिजिलेंस स्थापित करने की बात उन्होंने कहीं थी। आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आपको ऐसा करने के पहले एक महीने का नोटिश देना पड़ेगा और एक महीने का वेतन देकर ही आप उनको हटा सकते हैं। आपने शिक्षा जगत से भ्रष्टाचार को दूर करने की बात कही थी, आपने प्रेस में यह बात कहा था कि संचिका मंगा कर देखेंगे लेकिन आप देखिए, परीक्षा के पहले ही प्रश्न पत्र आउट होते रहे लेकिन संचिका आप अपने जनता दल के नेता के दवाब में नहीं मंगाये और लोगों में चर्चा है कि 20 लाख की लेनदेन के कारण इन्टरमीडिएट कौंसिल के चेयरमेन का मामला रफा-दफा हो गया। माननीय मुख्यमंत्री इसको भेरीफाई करें। कहीं-न-कहीं रेकर्ड में अवश्य होगा। उपाध्यक्ष महोदय, प्राइवेट ट्रेनिंग कॉलेज और ट्रेनिंग स्कूल का मामला हम लोगों के समय में भी आया था लेकिन हमारी सरकार ने वैसे स्कूल और कॉलेजों की मान्यता नहीं दी। लेकिन आपके वी०बी० सहाय के दस्तखत से बीस ट्रेनिंग स्कूल और ग्यारह ट्रेनिंग कॉलेज को आपने विभाग के द्वारा विज्ञापन के द्वारा निकाला गया। प्रत्येक ट्रेनिंग कॉलेज के लिए 20-20 और 25 लाख रुपया लिया गया है।

फिजिकल ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट और एल० पी० शाही फिजिकल ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट, मुजफ्फरपुर को संचिका तत्काल मुख्यमंत्री और मंत्री ने आदेश दिया था, कहा था किसी तरह के ट्रेनिंग

स्कूल की मान्यता नहीं दी और परीक्षा होगी, वह सभी के लिये मान्य होगी। यहां तक कि हमारे मंत्री जो उनके क्षेत्र में थे और उनके सिवान जिले में जो ट्रेनिंग कॉलेज चलता था, उनकी इच्छा थी कि ले लिया जाय लेकिन सोचा गया कि एक को ले लिया गया तो सभी को लेना पड़ेगा। मुख्यमंत्री का आदेश हुआ कि नहीं लिया जायेगा। इस तरह से उपाध्यक्ष महोदय, दरभंगा पूर्णियां के अनेक जगहों पर ट्रेनिंग कॉलेज चल रहा था, जिसमें जिनको मान्यता अगले आदेश तक हुई, वह मुख्यमंत्री का एक आदेश हो और खत्म हो जायेगा, यह अगला आदेश कहा जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग जो मुख्यमंत्री जी के साथ है, मैं चैलेंज करता हूं और साबित करता हूं कि इसमें 10 से 20 करोड़ रुपये तक का लेन देन हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, कितनी खामियां हम कहें शिक्षा विभाग की, इनके भ्रष्टाचार की, इनकी अस्त-व्यस्तता की। बड़े जोर-शोर से चल रहा है कि हम भ्रष्टाचारी को पकड़ेगें, चार्जशीट करेंगे और जब समझौता हो जाता है तो विथड्राबल हो जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रोजेक्ट विद्यालय से आप इंटेरेस्टेड हैं। हमलोगों ने 150 प्रोजेक्ट विद्यालय लिया था, फिर 300 प्रोजेक्ट विद्यालयों, प्रार्थमिक विद्यालयों को करना था। सदन में प्रस्ताव लाये थे। हम बार-बार यह कहते भी रहे हैं, मांग करते रहे हैं और रामजीवन बाबू और मुख्यमंत्री जी संचिका को देख लें। बिहार में जो नीति आपने अपनायी है वह दोरंगी है। 150 प्रोजेक्ट विद्यालयों के लिये दूसरी नीति है, जबकि

300 विद्यालयों के लिये दूसरी । मेरी मांग है कि समान नीति अपनायी जाय ।

रामजीवन बाबू, अपनी और मुख्यमंत्री जी की तत्परता इस बात में है कि वित्त रहित शिक्षा को वित्त सहित करें । चार माह में आपने क्या किया ? हमलोगों ने कैबिनेट डिसीजन ले लिया, फाइनेंस से कार्रवाई हमलोगों ने करवा ली । योजना विभाग से कार्य कराया और नीति निर्धारित करके कहा गया कि एक अप्रैल, 90 से लागू होगा । यदि कुछ काम हमने नहीं किया, हम आशा करते हैं, विश्वास करते हैं, उन कार्यों को आप कीजिये और बिहार की जो शिक्षा नीति है, वित्तरहित, उसको वित्त सहित किया जाय । हमने भी इसको किया था । आपके मुख्यमंत्री जी भी बजट भाषण एवं अन्य जगहों पर भी इसको कहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय, छात्रवृत्ति की कहते हैं कि लड़कों को दे देते हैं 18 वर्ष की वोट देने का अधिकार हमने किया और वोट आपने लिया । हमलोगों ने 5000 छात्रों को विश्वविद्यालय देने की घोषणा की थी । हमने मुख्यमंत्री जी का भाषण सुना है और देखा है कि मुख्यमंत्री जी के भाषण में इस तरह की बातें कहीं नहीं हैं । हमने छात्रवृत्ति की संख्या बढ़ायी । 16 तारीख की कैबिनेट में आपने 5 करोड़ का पास किया है, जिसके लिये हमने 8 करोड़ का उपलब्ध किया था । आज समय पर न तो छात्रवृत्ति मिलती है और न ही भुगतान होता है तथा न ही इसको बढ़ाया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यदि मुख्यमंत्री जी, आपको शिक्षा का, अर्थ का ज्ञान नहीं

है और फिर भी हमारे नेता से सीखना नहीं चाहते हैं तो दूसरे अच्छे-अच्छे लोग भी हैं, उनसे आप शिक्षा ग्रहण कीजिये।

(शोरगुल)

उपाध्यक्ष : कोई मा० सदस्य वक्ता को इस तरह डिस्टर्व न करें।

श्री युगेश्वर झा : उपाध्यक्ष महोदय, औपबंधिक शिक्षा के बारे में भी हमलोगों ने किया। बहुत सारे निर्णय आपके और हमारे मुख्यमंत्री जी के फैसले नहीं थे, उच्चतम न्यायालय के आदेश के आधार पर हमलोगों ने बहाल किया लेकिन आज चार माह बीत जाने के बाद भी उनको न तो दरमाहा मिल रहा है और न ही जो नीति थी, उसके अनुसार, सेवा-निवृत्ति करने की व्यवस्था की गयी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में ऊँची आवाज में कहना चाहता हूँ कि आप जब विपक्ष में थे तो आप लोगों ने इसी सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से ऊँची आवाज में मांग की थी कि संस्कृत विद्यालयों को स्वीकृति मिले, माइनोरीटी विद्यालयों को स्वीकृति मिले। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के माननीय सदस्यों ने इसकी माँग की थी। जब हम लोग मंत्रिमंडल में गये तो डा० जगन्नाथ मिश्र की सरकार ने 3880 संस्कृत विद्यालय जो बोर्ड के द्वारा अनुशंसित थे, उसकी स्वीकृति हमलोगों ने दी, सिर्फ अधिसूचना निर्गत होना बाकी था। 29695 मदरसा विद्यालयों की प्रस्वीकृति डा० जगन्नाथ मिश्र की सरकार ने दी थी, सिर्फ अधिसूचना निर्गत होना बाकी था। अब आप सरकार में हैं, सत्ता में हैं,

मैं आपसे यह मांग करता हूं कि पिछली सरकार ने जिन संस्कृत विद्यालयों और मदरसा विद्यालयों की स्वीकृति कर दी है, उसकी अधिसूचना आप शीघ्र निर्गत करें।

श्री रमेन्द्र कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था पर खड़ा हूं। मैं माननीय सदस्य से यह जानना चाहता हूं कि संस्कृत विद्यालयों के सरकारीकरण करने हेतु क्या रेट इन्होंने रखा था ?

अध्यक्ष : व्यवस्था के प्रश्न पर आप सूचना नहीं मांग सकते हैं।

श्री युगेश्वर झा : उपाध्यक्ष महोदय, 217 माध्यमिक विद्यालयों का अधिग्रहण करने का निर्णय पूर्व सरकार के मंत्रिमंडल ने लिया था तथा 390 प्राथमिक विद्यालयों के सरकारीकरण का भी निर्णय पूर्व की सरकार ने लिया था। 300 प्रोजेक्ट कन्या विद्यालयों के सरकारीकरण करने की स्वीकृति पूर्व की सरकार ने दी थी, लेकिन अधिसूचना निर्गत नहीं हो पायी थी। जब ये विपक्ष में थे तो बार-बार इसकी मांग करते थे, लेकिन अभी पूर्व की सरकार ने जिन विद्यालयों के अधिग्रहण और सरकारीकरण का निर्णय लिया था, उसकी अधिसूचना में नहीं निकाल पा रहे हैं। क्यों नहीं आप अधिसूचना निकालते हैं, वे कहते हैं कि सरकार के पास वित्त की कमी है, आर्थिक संकट है। 1980 में डा० जगन्नाथ मिश्र की सरकार ने 3000 माध्यमिक विद्यालयों का अधिग्रहण किया था, 20,000 प्राथमिक विद्यालयों का सरकारीकरण किया था, 225 महाविद्यालयों को अंगीभूत किया गया था

और सत्रों के लिये वित्त की व्यवस्था भी की गयी थी। इसलिये हमलोग डपोरशंखी नहीं थे, आप डपोरशंखी हैं।

उपाध्यक्ष : आपका समय हो गया है, अब आप बैठ जाइये।

श्री युगेश्वर झा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ पांच मिनट और समय लूंगा। अब मैं विश्वविद्यालय के संबंध में कहना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय एक्ट 1976 में सर्वप्रथम बना, उसके बाद 1982 में इसमें कुछ संशोधन हुआ था, लेकिन इसमें अभी भी संशोधन करने की आवश्यकता है जिससे विश्वविद्यालयों में जनतांत्रिक ढांचा तैयार हो सके और लोकतांत्रिक तरीके से सीनेट और सिन्डीकेट का गठन किया जा सके, एकेडेमिक कौन्सिल का गठन किया जा सके। इसलिये मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि इस चलते सत्र में विश्वविद्यालय एक्ट में आवश्यक संशोधन लायें। हमलोगों ने चाहा था कि इसको ओर्डिनेन्स के द्वारा संशोधन कर दिया जाय, लेकिन समायाभाव के कारण ओर्डिनेन्स नहीं हो सका। विरोधी दल के लोग जो अभी सत्ता में हैं, ये लोग भी उस समय मांग किये थे कि एक्ट में संशोधन होना चाहिये। संघ के सदस्यों ने भी इस पर अपनी सहमति दी थी। इसलिये मैं वर्तमान सरकार से मांग करता हूं कि इस चलते सत्र में इस एक्ट में संशोधन करके जनतांत्रिक तरीके से विभिन्न निकायों का गठन किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, बहुत दिनों से विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा शिक्षकों की बहाली नहीं हुयी है। दस वर्षो से मेधावी छात्र विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा व्याख्याता

के पद पर बहाली नहीं होने के कारण वंचित रहे हैं और इसकी प्रक्रिया में जटिलता के कारण ये लोग बहाल नहीं हो पा रहे हैं। मैं सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि राज्य स्तर पर विश्वविद्यालय सेवा आयेाग द्वारा विभिन्न विषयों का एक पैनल बनाया जाय और च्वायस के आधार पर विश्वविद्यालयों में व्याख्याताओं की नियुक्त कर भेजा जाय। इसके लिये विश्वविद्यालय अधिनियम और परिनियम में संशोधन की आवश्यकता है जिसके चलते सत्र में संशोधन कर लिया जाय।

36 अंगीभूत महाविद्यालयों में छः वर्षो से शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का समयोजन नहीं हो पा रहा था। वे लोग सड़क पर घूम रहे थे। लेकिन डा० जगन्नाथ मिश्र की अल्पावधि की सरकार ने शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के सेवा का समायोजन किया। अधिसूचना में यह भी लिखा हुआ है कि यदि कोई गड़बड़ी किसी स्तर पर रह गई हो तो उसका समाधान विश्वविद्यालय या विभाग अपने स्तर से करेगा। न मेरे कहने पर न आपके कहने पर, वहां इसके लिए दो कमिटी बनाई गयी थी पहला दामोद्र ठाकुर कमिटी, दूसरा आर० एन० ठाकुर कमिटी। इन कमिटियों की जो अनुशंसा थी, विभाग के सचिव की जो अनुशसा थी, उस आधार पर हम लोगों ने कर दिया। इसलिए हम लोगों के स्तर पर कोई गड़बड़ी की बात नहीं है। विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के साथ, माध्ययमिक शिक्षकों के साथ, प्राथमिक शिक्षकों के साथ जो समझौता किया गया उसे तो हम लोगों ने लागू कर दिया। गैर वित्तीय अनुशंसा और वित्तीय मांग जो बाकी है

उसको भी लागू कीजिए। लेकिन चार महीने में आपने किसी तरह का कोई कार्य नहीं किया, आपके विभाग में कोई प्रगति नहीं हुई है। फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा था कि इंटरमीडियट कॉन्सिल, स्कूल ऐक्जामिनेशन बोर्ड, संस्कृत बोर्ड, मदरसा बोर्ड को हम ठीक करेंगे। उसपर भिजिलेंस बैठायेंगे उसकी नियुक्ति की समीक्षा करेंगे। आपको पावर है एक्ट के अन्दर हटा देने का लेकिन आप अपने दल के बड़े नेता के दवाब में आकर इसे नहीं कर रहे हैं। वहाँ के कर्मचारी लोग कहते है। कि 20 लाख रुपये का लेनदेन है। उसके बाद कहाँ गया बोर्ड का गठन, कहाँ गया भिजिलेंश, कहाँ गया आपका इन्क्वायरी। आज विद्यालय सेवा बोर्ड के अध्यक्ष हैं आर० के० पोद्दार। आपने उनके ऊपर भिजिलेंस नियुक्त किया। आर० के० पोद्दार को जेल में रखा। आपको पावर है एक माह का दरमाहा देकर हटा देने का। 12 फरवरी का आर्डर है, मुख्यमंत्री का, कि कमिटी का गठन कर लिया गया लेकिन आपने हटाया नहीं। आप कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ।

श्री रमेन्द्र कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। हमलोगों को आज मानव संसाधन विकास विभाग की दो पुस्तिका मिली है। एक है मानव संसाधन विकास विभाग का वार्षिक प्रतिवेदन और यह वार्षिक प्रतिवेदन श्री आर० के० श्रीवास्तव प्रधान सचिव एवं आयुक्त, मानव संसाधन विकास विभाग की ओर से है। इस संबंध में मुझे कहना है कि विधान-सभा की यह परिपाटी रही है कि विभाग की ओर से जो प्रतिवेदन बांटी जाती है वह विभाग क प्रभारी मंत्री की

ओर से न कि किसी सचिव या आयुक्त की ओर से दूसरी बात मुख्यमंत्री मानव संसाधन विकास विभाग की मांग के संबंध में यह पुस्तिका रखी गयी है। आज मानव संसाधन विकास विभाग की ओर से मांग श्री राम जीवन सिंह मूव किये हैं।। जो मूव किये हैं वक्तव्य तो उनका होगा उनके वक्तव्य के बदले मुख्यमंत्री का वक्तव्य कैसे होगा। इसलिए मैं आपसे चाहता हूं कि मैंने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है आप इस पर नियमन दें।

उपाध्यक्ष : मांग से संबंधित कोई भी सरकारी वक्तव्य जो सदन में रखा जाता है वह भारसाधक सदस्य की ओर से रखा जाता है और मानव संसाधन विकास विभाग के मंत्री स्वयं मुख्यमंत्री हैं। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में मुख्यमंत्री के विहाफ में उनके कैबिनेट के कोई भी मिनिस्टर वक्तव्य दे सकते हैं।

श्री रमेन्द्र कुमार : आपने जो नियमन दिया भारसाधक सदस्य की ओर से पुस्तिका बांटी जाती है तो आर० के० श्रीवास्तव की ओर से जो पुस्तिका बांटी गयी है वह गलत है।

श्री राजो सिंह : यह गलत है। आप विभाग को क्षमा मांगने के लिए कहिए इस तरह की भविष्य में कोई गलती न हो। क्योंकि ये सारी चीजें आने वाली पीढ़ी देखेगी। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य रमेन्द्र कुमार ने जो प्वाइंट उठाया है वह बहुत भैलिड है। आपका नियमन जो हो जायेगा वह सर आंखों पर होगा। वक्तव्य नहीं देते हैं जिनको पौलिसी के बारे में कहना होता है। मुख्यमंत्री के बदले जवाब

दे सकते हैं, उनके बदले मूव भी कर सकते हैं माननीय सदस्यों के जो विचार होंगे उस पर जवाब भी देंगे लेकिन यह जो छप गया है, अगर इस तरह सरकार शिक्षा नीति की अवहेलना करेगी तो समझता हूं कि राज्य का अहित होने जा रहा है।

उपाध्यक्ष : जो सदन में बांटा गया है उसके भारसाधक सदस्य मुख्यमंत्री हैं। अगर उस भाषण को मुख्यमंत्री पढ़ देंगे तो कहा जायेगा कि यह मुख्यमंत्री का भाषण है तो इसको दूसरे मंत्री कैसे पढ़ेंगे।

श्री राजो सिंह : हुजूर, आपने देखा होगा कि दूसरे के भाषण को दूसरे मिनिस्टर पढ़ सकते हैं यह कहकर कि मिनिस्टर साहब अस्वस्थ थे या दूसरे काम से गये थे लेकिन भाषण हो गया लालू प्रसाद का और जवाब देंगे कृषि मंत्री जी तो यह विरोधाभास हो गया। यह सरकार पूरे अफसरशाही के कब्जे में है। इसी ओर आपका ध्यान माननीय नेता कम्युनिष्ट पार्टी के, श्री रमेन्द्र कुमार ने आकृष्ट किया है और मैंने भी उन्हीं का समर्थन किया है।

श्री रमेन्द्र कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को कहिए कि आर के० श्रीवास्तव के नाम से जो छपा है उसके लिए क्षमा मांगे।

श्री राजो सिंह : यह शासन निकम्मा हो गया है। अफसर लोग इनको जो लिखकर देते हैं उसको वे मान लेते हैं यह तो मानहानि का मामला बन सकता है। अगर इसको आपलोग इतनी आसानी से जाने दीजिएगा तो आये दिन भी इस तरह की बात होगी।

उपाध्यक्ष : इस पर मैंने पहले ही नियमत दे दिया है। सदन की भावना को ध्यान में रखते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि भारसाधक सदस्य की जगह जो विभागीय पदा० का नाम लिखा गया है वह सदन की परिपाटी की खिलाफ हो गया है। इसलिए इस संबंध में गवर्नमेंट की ओर से खेद प्रकट कीजिए।

श्री रामजीवन सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, दरअसल माननीय सदस्य ने जिस बिन्दु को उठाया है या सदन का ध्यान जिस बात की ओर आकृष्ट किया है, मैं उनकी भावना से सहमत हूँ। वास्तव में सदन में कोई भी सूचना या कागजात निश्चित तौर पर सरकार की तरफ से, प्रभारी मंत्री की तरफ से आना चाहिए, यही परम्परा रही है सदन की। जिस बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया, मैं समझता हूं कि इसको आगे से नहीं किया जायेगा।

श्री रामचन्द्र राय : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय प्रभारी मानव संसाधन मंत्री ने जो शिक्षा के संबंध में मांग प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। साथ ही उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान शिक्षा की ओर ले जाना चाहता हूं। पिछले 42 वर्षो में पिछली सरकार ने शिक्षा के साथ किस तरह से अन्याय किया है, वह हम बताने जा रहे हैं। देखा जाये कि आजादी के बाद देश और प्रदेश में शिक्षा की नीति जिस ढंग से पिछली सरकार ने चलायी यह सबको मालूम है। पिछली सरकार ने शिक्षा नीति को अनवरत प्रयोगशाला बनाकर रख दिया था, यह बहुत ही खेदजनक बात है। शिक्षा नीति में बार-बार केवल नये प्रयोग करते आये हैं, जिसका नतीजा

यह हुआ कि जनता को जितना लाभ मिलना चाहिए था, उतना लाभ नहीं मिल पाया है। क्योंकि केवल प्रयोग ही प्रयोग होता आया है और उसका कोई फल नहीं निकल पाया है। अभी तक जितने भी प्रयोग हुए हैं उसका कोई फल सामने नहीं आया है और जनता को लाभ नहीं मिल पाया है। बराबर कोई-न-कोई कमी शुरू से लेकर शिक्षा नीति में रही, जिसका कोई फल नहीं निकल पाया है। जितने भी प्रयोग हुए हैं, उस प्रयोग का कोई भी फल नहीं निकला है। बल्कि इस्ट इण्डिया कम्पनी से लेकर 1947 तक करीब 133 कमीशन और समितियां बनी प्राथमिक एवं उच्च विद्यालय के संबंध में, लेकिन उसका कोई भी प्रतिफल नहीं निकला। बराबर इस तरह की कमीशन बनते रहे जैसे-कोठारी कमीशन, राधाकृष्ण कमीशन, लगातार इस तरह का सिलसिला चलता रहा, लेकिन इसका न तो कोई फल निकला और न जनता को लाभ मिला। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अब तक जो शिक्षा नीति रही है, वह प्रयोगशाला के रूप में रही, इसका बराबर प्रयोग होता रहा, जिसके कारण इससे जनता को कोई लाभ नहीं मिल पाया। इसलिए मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अब से जो भी शिक्षा नीति अपनायी जाय, वह रोजगारोन्मुख हो। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद लोगों को रोजगार मिल सके। किसी भी शिक्षक को प्रशिक्षण दिया जाता है तो प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उनको नौकरी मिलनी चाहिए। 1977-78 से जो शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, वे आज प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भी बेकार बैठे हैं, बेरोजगार हैं लेकिन उनके लिये कोई

रोजगार की व्यवस्था नहीं की गयी है, उनको कोई रोजगार नहीं दिया गया है, उनके लिये कुछ सोचा नहीं गया है, वे आज बेकार बैठे हुए हैं। इस तरह की शिक्षा की नीति जो पूर्व से चली आ रही है, शिक्षण, प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भी लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, उस तरह की शिक्षा नीति आप नहीं अपनायें और वर्तमान सरकार इस ओर ध्यान दें, जो शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, उनको अविलम्ब नौकरी दी जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान प्राथमिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा की ओर ले जाना चाहता हूं। उच्च शिक्षा से ज्यादा ध्यान प्राथमिक शिक्षा पर दिया जाना चाहिए और इसके लिये बजट में विशेष रूप से प्रावधान होना चाहिए क्योंकि प्राथमिक शिक्षा से सर्वसाधरण को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सकेगा। हमारे प्रदेश में कुल प्राथमिक विद्यालयों की संख्या--63,566 है, माध्यमिक विद्यालयों की संख्या- 3556 है। प्राथमिक शिक्षा में जबतक सुधार नहीं होगा तबतक सर्वसाधारण को लाभ नहीं मिल सकेगा। प्राथमिक शिक्षा में जबतक सुधार नहीं होगा तबतक सर्वसाधारण को लाभ नहीं मिल सकेगा। प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से ही सर्वसाधारण को शिक्षा मिल सकेगी, चूंकि पब्लिक स्कूल में, जो शहरों में है, उससे सर्वसाधारण को लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिये प्राथमिक शिक्षा पर विशेष रूप से सरकार का ध्यान जाना चाहिए और इसपर विशेष रूप से खर्च किया जाना चाहिए। आजादी के बाद यह नीति निर्धारित की गयी थी कि एक निश्चित आयु सीमा के लोगों को अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जायगी लेकिन आज 42 वर्षों के बाद भी इसमे

कोई लाभ नहीं मिल सका। पिछली सरकार ने शिक्षा के साथ बिल्कुल बेईमानी की है, अन्याय किया है, इस अन्याय को कोई भी माफ नहीं कर सकता है। हमारी जो वर्तमान सरकार है, पूर्व से चली आ रही शिक्षा नीति पर ध्यान देगी और ऐसी शिक्षा नीति अपनायेगी, जिससे सर्वसाधारण को लाभ मिल सके। मुझे पूर्ण विश्वास है, हमारी वर्तमान सरकार शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान देगी और इसके विकास के लिये क्रांतिकारी कदम उठायेगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार शिक्षा में सुधार लाना चाहती है। देखा जाय, जहाँ 1986-87 वर्ष में 4,87,00,000 रु०, 1989-90 वर्ष में 8,00,86,36,027/- का प्रावधान शिक्षा के मद में किया गया था, वहीं हमारी सरकार ने वर्ष 1990-91 के लिये शिक्षा के मद में 12,46,00,95,500/- रु० का प्रावधान किया है। इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं कि वास्तव में शिक्षा के साथ किस ढंग से पिछली सरकार ने अन्याय किया है और हमारी सरकार शिक्षा के विकास हेतु किस रूप से क्रांतिकारी कदम उठाकर इसको प्रगतिशील बनाना चाहती है। हमारी सरकार इस ओर किस तरह से सक्रिय है, यह बजट से स्पष्ट होता है। प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई अच्छी तरह से हो, सर्वसाधारण लोगों को अनिवार्य रूप से शिक्षा की व्यवस्था हो, इसके लिये व्यवस्था होनी चाहिए ताकि ज्यादे से ज्यादे लोगों को शिक्षा मिल सके। प्राथमिक शिक्षा में अच्छी तरह से पढ़ाई हो, इसके लिये उड़नदस्ता से निरीक्षण कराने की व्यवस्था होनी चाहिए, इससे शिक्षा में सुधार हो सकेगा, गरीब लोगों के बच्चे जो पब्लिक स्कूल में नहीं जा सकते हैं, वैसे बच्चों को शिक्षा मिल सकेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, आज़ हमारे प्रदेश में साक्षरता की क्या स्थिति है, इसके संबंध में मैं कहना चाहता हूँ। राष्ट्रीय स्तर पर साक्षरता का प्रतिशत 36.23 प्रतिशत है। आंध्र प्रदेश में या अन्य दूसरे प्रान्तों की अपेक्षा बिहार की साक्षरता कम है। बिहार की साक्षरता का प्रतिशत 26.20 है। कहने का मतलब यह है पूरे हिन्दुस्तान में बिहार का स्थान शिक्षा के मामले में, साक्षरता के मामले में सबसे नीचे है। समूचे हिन्दुस्तान मे तीन प्रान्त-राजस्थान, अरुणाचल और बिहार साक्षरता में सबसे नीचे है और उसमें बिहार सबसे फर्स्ट है।

इस तरह राजस्थान और बिहार सबसे पीछे है। जहाँ तक हमारे यहां शिक्षा विभाग पर खर्च का जो प्रतिशत अभी तक रहा हैं उसको यदि देखा जायेगा तो मालूम होगा कि वह नगण्य सा रहा है। शिक्षा नीति पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया गया है और हमारी सरकार ने अभी क्रांतिकारी कदम इस दिशा में उठाने की नीति अपनाई है।

श्री इन्दर सिंह नामधारी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्वाइन्ट औफ इनफोरपेशन पर खड़ा हूँ उपाध्यक्ष महोदय, आप अवगत हैं कि कल से प्रोजेक्ट विद्यालय में काम करने वाले शिक्षक और शिक्षिकाओं जिसमें आदिवासी शिक्षिकाएं आमरण अनशन पर बैठी हुई हैं। आप सरकार को निदेश दें कि इस मामले में सरकार कोई वक्तव्य दें। सरकार उन सबों को आमरण अनशन पर बैठने के लिए विवश कर रही है।

श्री थिओदोर किड़ो : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसी संबंध में दो बातें कहना चाहता हूं। छोटानागपुर और संथालपरगना में खासकर आदिवासी क्षेत्रों में बालक-बालिकाओं के प्रोजेक्ट

विद्यालयों में शिक्षक और शिक्षिकाओं के पिछले आठ महीनें से वेतन का भुगतान नहीं हुआ है इसलिए सरकार को निदेश कृपया दिया जाय कि वे उन सबों का वेतन भुगतान शीघ्र कर दें।

उपाध्यक्ष : यह मेरी जानकारी में है कि कुछ महिलायें आमरण अनशन पर बैठी हुई हैं इस संबंध में सरकार जब शिक्षा के संबंध में भाषण देगी तो मंत्रीजी इस संबंध में भी वक्तव्य दे देंगे।

श्री सुशील कुमार मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, आज सारे बिहार के साढ़े सात करोड़ जनता की आंखें वर्तमान सरकार की ओर लगी हुई है क्योंकि सरकार के मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद बिहार आन्दोलन के उपज हैं। सन् 1974 के आन्दोलन के इतिहास में मांगें थी कि शिक्षा को बदले और उसी मांग पर लड़ने वाले श्री लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हैं जो शिक्षा विभाग को देख रहे हैं यानि शिक्षा मंत्री भी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले 42 वर्षों के अन्दर बिहार में शिक्षा की जो हालत है, वह किसी से छिपी नहीं है। मैं वर्त्तमान सरकार से कहना चाहूँगा कि शिक्षा विभाग के लिए कैबिनेट स्तर पर किसी व्यक्ति को अलग से नियुक्त नहीं किया गया है। मुख्यमंत्रीजी को आज सदन में रहना चाहिए था, इसलिए मैं सरकार से कहूँगा कि शिक्षा को गम्भीरता से लें। आज बिहार के 40 हजार लोग अन्य राज्यों में जाकर अध्ययन कर रहे हैं। यह इसलिए हो रहा है कि बिहार के अन्दर विश्वविद्यालयों में जितनी पढ़ाई होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है। बिहार के अन्दर विश्वविद्यालयों में

180 दिन पढ़ाई होनी चाहिए लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, आपको जानकार आश्चर्य होगा कि बिहार में एक भी ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जिसमें 90 दिन से ज्यादा पढ़ाई हुई हो। बिहार के कॉलेजों में पढ़ाई नहीं हो रही है। दो-दो सालों से सत्र विलम्ब से चल रहा है। आई॰ ए॰ की पढ़ाई दो साल की होनी चाहिए, बी॰ ए॰ की पढ़ाई तीन साल की होनी चाहिए और एम॰ ए॰ की पढ़ाई दो साल की होनी चाहिए लेकिन इन सभी की पढ़ाई विलम्ब से चल रही है। आज वर्तमान सरकार से अनुरोध करूंगा कि सत्र को नियमित करने के लिए 180 दिन की पढ़ाई करने के संबंध में क्या कार्रवाई हो रही हैं, इस संबंध में आप अपने वक्तव्य में बतायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले 20 वर्षों से छात्र राजनीति से जुड़े रहे हैं लेकिन आज मैट्रिक का परीक्षाफल अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है। ऐसा कहा गया है कि 25 जुलाई को मैट्रिक की परीक्षाफल प्रकाशित होगा तो इस वर्ष उनकी अगली पढ़ाई नवम्बर-दिसम्बर के पहले शुरू नहीं होगी। उपाध्यक्ष महोदय, परीक्षा के बाद 40 दिनों के अन्दर परीक्षाफल प्रकाशित कर देना चाहिए लेकिन आजकल परीक्षाफल निकालने में आठ-आठ महीने लग जाते हैं। यहां के छात्र गरीब हैं और परीक्षाफल निकलने में कोई वित्तीय खर्च भी नहीं है इसलिए मैं श्री लालू प्रसाद की सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या वे इस बात की घोषणा करेंगे कि बिहार के विद्यालयों एवं कॉलेजों का परीक्षाफल 40 दिनों के अन्दर प्रकाशित किया जायेगा ? अगर इस बात की घोषणा की जायेगी तो समय पर जो सत्र नहीं चल रहा है उसमें विलम्ब नहीं होगी और सत्र

नियमित ढंग से चलेगा। आज का छात्र कल का समाज है। कल का समाज हम देखना चाहते हैं। आजकल क्या हो रहा है, विद्यालयों के अन्दर पढ़ाई नहीं होती है। परीक्षा में किस तरह नकल हो रही है वह सभी को मालूम है। राजो बाबू के क्षेत्र में जो मैट्रिक की परीक्षा हुई थी उसमें नकल बड़े पैमाने पर हुई थी। यह समाचार-पत्र में आया था। परीक्षा के अन्दर ब्लैकबोर्ड पर लिख दिया जाता था इसलिए मैं कह रहा था कि नियमित ढंग से पढ़ाई होनी चाहिए और परीक्षाफल भी 40 दिनों के अन्दर प्रकाशित होना चाहिए। इसी में सरकार को वित्तीय भार भी नहीं है। यदि इस प्रकार से छात्र नकल करेंगे तो वे डाक्टर, इंजिनियर तथा आई०ए०ऍस० औफिसर किस प्रकार से होंगे, इसलिए इसपर कड़ी-से-कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, श्री लालू प्रसाद पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष थे और हम महासचिव थे, लेकिन काँग्रेस के मंत्रिमंडल ने पिछले 12 वर्षों से बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय के अन्दर छात्र संघ का चुनाव नहीं कराया है। मैं चाहूंगा कि इस बात की घोषणा वे करें ताकि छात्रों में लोकतांत्रिक भावना की आवाज पूरे बिहार में गूंज उठे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि बिहार के 75% महाविद्यालयों में प्रिंसिपल नहीं है, प्राचार्य नहीं हैं। इसलिए मेरा अनुरोध होगा कि इनमें स्थायी प्रिंसिपल की नियुक्ति की जाय। हमारे युगेश्वर भाई ने कहा कि वेतन नहीं मिला है। आज 10 जुलाई हो गया मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद, पटना विश्वविद्यालय में मात्र 30% शिक्षकों को

वेतन मिल सका है। मैं चाहूंगा कि सरकार वित्तीय स्थिति में सुधार करे और काँग्रेस के जमाने में जिस प्रकार कैपिटेसन फी लेकर चार-चार महीने तक वेतन लम्बित रहता था, कम-से-कम इस जनता दल की सरकार में, जनता राज में शिक्षकों को वेतन का नियमित भुगतान हो ताकि इस संबंध में कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, बिहार के अन्दर पैसा लेकर छात्रों का नामांकन कराया जाता है इस संबंध में मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि बिहार में अल्पसंख्यक समुदाय के नाम पर पच्चासों शिक्षण-प्रशिक्षण महाविद्यालय खोल दिये गये हैं।

संविधान की धारा 30 की बहाना लेकर, इसका नाम लेकर, इसकी दुहाई देकर हजारों रुपये कैपीटेशन फीस के नाम पर इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में लिया जा रहा है, कैपीटेशन फीस के नाम पर इस तरह का धंधा किया जा रहा है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। एक पत्रिका प्रकाशित हुई है, जिसमें बिहार के शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय के बारे में बतलाया गया है मैं चाहूंगा कि सरकार इसे गौर से देखे। बिहार में बहुत से टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज आज इस तरह के चलाये जा रहे हैं; ये बिहार के बहुसंख्यक समुदाय द्वारा नहीं चलाये जा रहे हैं। हर एक समुदाय को अपनी संस्थान चलाने का अधिकार है लेकिन अल्पसंख्यक संविधान की धारा 30 की दुहाई देकर कैपीटेशन फीस की आड़ में आज शिक्षा को व्यवसाय बनाये हुए हैं, इसे व्यवसाय नहीं बनाया जाए।

कटिहार मेडिकल कॉलेज चल रहा है पटना में, कटिहार के अन्दर है, सरकारी ओदश के बावजूद कटिहार मेडिकल कॉलेज को बंद नहीं किया गया है।

श्री थियोडोर किड़ो : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। व्यवस्था का प्रश्न यह है कि संविधान की धारा के अनुसार अल्पसंख्यकों को जो अधिकार अल्पसंख्यकों को दिए गए हैं, मैं माननीय सदस्य आपके मार्फत अनुरोध करूंगा कि संविधान में जो अधिकार अल्पसंख्यकों को दिये गये हैं उसपर यहाँ बहस न की जाए।

श्री अजीत सरकार : लूटने का अधिकार तो नहीं है। 20-20 हजार रुपए लिए जा रहे हैं, लूटने का अधिकार कहाँ से आ गया।

श्री सुशील कुमार मोदी : सवाल अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का नहीं है। पैसा लेकर जो नामांकन कराया जा रहा है। पचासों इस तरह के विद्यालय मेडिकल, इन्जीनियरिंग और टीचर्स ट्रेनिंग के चल रहे हैं, इसपर सरकार को रोक लगानी चाहिए। बी॰पी॰एस॰सी॰ और शिक्षा विभाग एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बी॰पी॰एस॰सी॰ की परीक्षा का परिणाम दो-दो, ढाई-ढाई साल के बाद घोषित किया जाता है। श्री के॰ के॰ श्रीवास्तव जो बी॰पी॰एस॰सी॰ के चेयरमैन हैं वे कहते हैं कि 14 महीने से पहले किसी प्रकार की परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया जा सकता है। बी॰पी॰एस॰सी॰ के छात्रों की मांग है कि उम्र सीमा बढ़ाई जाए। जब हरियाणा में उम्र सीमा बढ़ाई जा सकती है, मध्य प्रदेश में उम्र सीमा 30 से बढ़ाकर 35 वर्ष किया जा सकता है तो बिहार सरकार को कौन सा

वित्तीय बोझ लग रहा है। इसलिए बिहार में अविलम्ब बी०पी०एस०सी० परीक्षा में बैठने की आयु 30 साल से बढ़ाकर 35 साल तक कर दी जाए। अभी बी०पी०एस०सी० परीक्षा में बैठने का तीन ही बार अवसर दिया जाता है, छात्रों की मांग है कि तीन से अधिक बार बैठने की अनुमति दी जाए। उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही हास्याप्रद है कि बी०पी०एस०सी० की परीक्षा होती है लेकिन उसमें रिक्तियां घोषित नहीं की जाती है। सारे हिन्दुस्तान के अन्दर जो परीक्षयें होती हैं, उनमें रिक्तियां घोषित की जाती हैं, कितनी रिक्तियां हैं और कितनी रिक्तियों के विरुद्ध प्रवेश परीक्षा लिया जायेगा, यह दिया जाता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि वर्त्तमान सरकार इस बात की घोषणा करे बिहार के अन्दर कितनी रिक्तियाँ हैं सारे विभागों के अन्दर उसी के आधार पर बी०पी०एस०सी० अपनी तमाम परीक्षा ले और विज्ञापन में इसकी घोषणा हो। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार छात्रों को छात्रवृत्ति बांटती है लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि चार-चार साल से छात्रवृत्ति नहीं मिली है। एक दो साल पर छात्रवृत्ति मिलती है तो उसका लाभ छात्रों को नहीं मिलता है। वर्त्तमान सरकार समय पर छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान करे, तीन माह पर छात्रवृत्ति का भुगतान हो सके, इसके बारे में सरकार को विचार करना होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब दो मिनट और शिक्षा पर बोलूंगा। आपरेशन ब्लैक बोर्ड की आपने जांच करायी है, जो ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन है और आप गांव में जकार देखिये तो किसी भी विद्यालय में कमरा का निर्माण नहीं कराया गया है, शिक्षक और शिक्षिकाओं की बहाली नहीं हुई है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और नवोदय विद्यालय, राज्य सरकार का नहीं है

लेकिन नवोदय विद्यालय के बारे में पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। आपको आश्चर्य होगा कि बिहार में कम्प्यूटर की पढ़ाई शेखपुरा के अन्दर होती है। रांची में, पटना में नहीं होती हैं लेकिन केन्द्रीय सरकार के द्वारा शेखपुरा के अन्दर कम्प्यूटर कॉलेज खोला गया है वहां किस प्रकार की पढ़ाई होती है जान सकते हैं, राजो बाबू के क्षेत्र में कम्प्यूटर कॉलेज चलता है, 200 से 250 लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ कम्प्यूटर की क्या पढ़ाई होती है, वह तो जान ही सकते हैं। केन्द्रीय सरकार की जो योजना है उसके लिए वर्त्तमान सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय अनुदान आयेाग हर साल बिहार को 14 करोड़ रुपए से अधिक अनुदान के रूप में देती है लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि पिछले साल साढ़े 14 करोड़ रुपए वापस लौट गया क्योंकि बिहार सरकार ने इसका मैचिंग ग्रान्ट देने में असफल रही और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को रुपया वापस लौटाना पड़ा। इसपर भी विचार करना होगा। अंत में दो बातें और कहना चाहूंगा। एक तो जितने चेयरमैन बोर्ड के बनाकर बैठाये गये हैं, स्कूल एक्जामिनेशन बोर्ड, इन्टरमीडियट कौन्सिल, उसके परीक्षा के प्रश्न आउट हो गये। मैं पूछना चाहता हूं कि इनके अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी, बाजार में प्रश्न पत्र खुलेआम बिक रहे हैं। इन्टरमिडियट कॉन्सिल के अध्यक्ष श्री गुप्तेश्वर सिंह और उसके सचिव श्री रुपनारायण झा के विरुद्ध जब विद्यार्थी परिषद् के छात्रों में आन्दोलन किया, उनका घेरा किया तो उनपर गोलियाँ चलायी गयी, छात्रों को गिरफ्तार किया गया। लालू प्रसाद की सरकार ने श्री गुप्तेश्वर सिंह और श्री रुपनारायण झा को आज तक नहीं

हटाया। श्री आर॰ के॰ त्रिवेदी बिहार स्कूल एक्जामिनेशन बोर्ड के अध्यक्ष को नहीं हटाया गया।

उपाध्यक्ष : किसी के नाम लेकर नहीं बोलें, पदनाम से बोलें।

श्री सुशील कुमार मोदी : बिहार स्कूल एक्जामिनेशन बोर्ड के अध्यक्ष को नहीं हटाया गया। बिहार स्कूल एक्जामिनेशन बोर्ड का परीक्षाफल अभी तक घोषित नहीं किया गया है। मैं कहना चाहूंगा कि खेल-कूद और संस्कृति के लिए जो पैसा बजट में प्रावधान किया गया है यह बहुत ही कम है, खेल-कूद और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बजट में और अधिक प्रावधान करना पड़ेगा। मैं सरकार से मांग करता हूं कि राजेन्द्रनगर मोईनुलहक स्टेडियम जो बिहार का सबसे बड़ा स्टेडियम है जो अभी सी॰आर॰पी॰ के कब्जे में है, वहां से सी॰आर॰पी॰ को अविलम्ब हटाया जाए ताकि स्टेडियम का समुचित रूप से उपयोग हो सके। कंकड़बाग के अन्दर स्टेडियम और स्वीमिंग पुल के लिए पिछली सरकार ने घोषणा की थी, जमीन भी उपलब्ध कराया गया था, वहां पर इनडोर स्टेडियम और स्वीमिंग पुल का निर्माण कराया जाए। प्रेमचंद रंगशाला जहां पूरे बिहार का एक ही रंगशाला है नाट्य कलाकारों के लिए सरकार ने उसके लिए पांच हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। इसमें बढ़ोतरी की आवश्यकता है। मैं चाहूंगा कि वर्त्तमान सरकार जो बिहारी आन्दोलन की ऊपज है और सारे बिहार के नौजवान सरकार की आशा और विकास की नज़र से देख रहे हैं, सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बदलाव लायेगी। इसलिए वर्त्तमान सरकार 1974 के

आन्दोलन की ऊपज है, मैं चाहूंगा कि मुख्यमंत्री शिक्षा विभाग को अपने पास न रखें, यदि मुख्यमंत्री के पास यह विभाग रहेगा तो इसके साथ कभी न्याय नहीं होगा, इसके लिए एक स्वतंत्र काबीना मंत्री रखा जाए। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सत्यनारायण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा शिक्षा विभाग की जो मांग लायी गयी हैं, मैं उसका समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि 1987-88 जो बिहार का लगभग सबा पांच अरब रुपये का बजट था आज बढ़कर लगभग साढ़े 12 अरब रुपए का हो चला है लेकिन शिक्षा विभाग बिहार के शिक्षा जगत में भ्रष्टाचार, जातिवाद, अराजकता और शिक्षा माफिया शिकंजा में जकड़ा हुआ है। बिहार में सही मायने में शिक्षा जगत में शिक्षा नहीं रह गया है। बिहार में बहुत से माफिया हैं, जैसे सहकारिता माफिया, कोयला माफिया, जल माफ़िया, उसी प्रकार से शिक्षा माफिया की चंगुल में शिक्षा जगत चला गया है। उपाध्यक्ष महोदय, बिहार के अन्दर यदि शिक्षा की सही मायने में एक ठोस नीति और एक ठोस कार्यक्रम के आधार पर चलाना चाहते हैं और वर्त्तमान लालू सरकार यदि शिक्षा में परिवर्तन लाना चाहती है तो इसके लिए इसे ठोस कदम उठाना पड़ेगा। इस सिलसिले में, मैं सलाह देना चाहता हूं कि बिहार के अन्दर खासकर के विद्यालयों के लिए, उसके भाषण के लिए सबसे बड़ी बात इन्टर की है।

लेकिन इन्टर की क्या हाल है ? इन्टर की परीक्षा और इन्टर की पढ़ाई चार जगह होती हैं- इन्टर की पढ़ाई होती है

कुछ उच्च विद्यालय में, वित्त रहित इन्टर कॉलेज में, तीसरा डिग्री कॉलेज में और चौथा अंगीभूत कॉलेज में इन चार जगहों में इन्टर की पढ़ाई होती है, जिसके चलते छात्रों का भविष्य अधर में लटका रहता है। पिछली सरकार वित्तभार रहित शिक्षण संस्थान जो थीं, उनकी मान्यता देने की बात करती थी, मान्यता देने के बाद ही इसे शिक्षा माफिया के चंगुल से छुड़ा सकते हैं, अभी तक कोई कार्यक्रम सामने नहीं आया है कि इन संस्थाओं को किस तरह से वित्तीय सहायता मिलेगी, इन्हें शिक्षा माफियों से कैसे मुक्त किया जाय ? अभी 300 इन्टर कॉलेज हैं और लगभग उतना ही डिग्री कॉलेज सम्बद्धता प्राप्त है और सैकड़ों लाईन में लगे हुये हैं मान्यता प्राप्त करने के लिये इसलिये इसको खत्म करने का सवाल है।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आज ज्यादातर प्रबन्धन इस राज्य के अन्तर्गत कॉलेज में पैसा लेकर शिक्षकों की बहाली करते हैं जो नये-नये कॉलेज खोलते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेज खुले हैं जिसमें विद्यार्थियों से पैसा वसूल किया जाता है, वहाँ शिक्षा माफिया पूरी तरह जब जमाये हुये हैं-सही ढंग से शिक्षकों के वेतन भुगतान नहीं किये जाते हैं, वहां के शिक्षकों और कर्मचारियों का पेमेंट सही ढंग से नहीं होता है, उनका पेट भी नहीं भरता है, उनका भयंकर शोषण हो रहा है। इसके लिये हम सुझाव देना चाहते हैं कि आज शिक्षा के स्तर जो इस तरह से गिरता जा रहा है, इसमें हमारा सलाह है कि यदि कॉलेज अपने तमाम शर्त्तों को पूरा करता है तो उसे मान्यता दी जाय, लेकिन शिक्षकों की बहाली कॉलेज सेवा आयोग द्वारा की जाय और शिक्षा माफियों से

शिक्षण संस्थानों को मुक्त किया जाय। छः विश्वविद्यालय के भाईस चांसलर बदल दिये गये, वह तो आपने वही कार्य किया जो कांग्रेस वाले किया करते थे। छः भाईस-चांसलर को बदलने से शिक्षा जगत में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता है। सही मायने में शिक्षा का जनवादीकरण करना पड़ेगा। बिहार के अन्तर्गत जो पिछड़ापन है, यदि इसको आप दूर करना चाहते हैं तो आपको परम्परागत शिक्षा को खत्म करना पड़ेगा और ज्यादा जोर विज्ञान, नई तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा जो रोजगारन्मुख हो की पढ़ाई की ओर देनी पड़ेगी। टेक्नोलॉजी की पढ़ाई पर ज्यादा जोर देना पड़ेगा, इसकी बेहतरी के लिये मैं आपको सलाह भी देना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को कि एक टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी बिहार में खोली जाय ताकि हम ज्यादा से ज्यादा तकनीकी ज्ञान और विज्ञान का ज्ञान दे सकें। यदि हम बिहार का विकास करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा बड़े पैमाने पर पॉलिटेकनिक एवं आई०टी०आई० स्कूल, कॉलेज खोले जायं जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा व्यवसायिक शिक्षा को प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ कहना चाहता हूं कि बिहार में जैसा कि कई बन्धुओं ने भी चर्चा की मात्र 26 प्रतिशत साक्षरता है। बिहार में साक्षरता सबसे कम है हिन्दुस्तान में साक्षरता की दृष्टिकोण से इसलिये हम सलाह देना चाहते हैं कि जैसाकि अभी केरल की सरकार ने साक्षरता अभियान के लिये रास्ता अपनाया है, एक-एक जिला को इसके लिये चुना है और ऐलान किया है कि एक-एक जिला लेकर लोगों को साक्षर करेंगे, उसी तरह से बिहार के अन्तर्गत भी एक-एक जिला को लेकर साक्षर

अभियान चलाकर ही अपने यहां साक्षरता ला सकते हैं। यही सवाल नहीं है, बिहार में नियमित पढ़ाई की व्यवस्था की भी कोई इंतजाम नहीं है, इस सवाल पर कई लोगों ने अपने विचार रखे हैं, सही मायने में विश्वविद्यालय में नाममात्र की पढ़ाई होती है, कम से कम 180 दिन पढ़ाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। कॉलेज में सिर्फ पढ़ाई की ही व्यवस्था की बात नहीं है, समय पर परीक्षाएं हों इसकी भी गारन्टी करनी पड़ेगी। अभी जो परीक्षायें हो रही हैं अनियमित ढंग से, उससे छात्रों का भविष्य अधर में लटक जाता है। साथ ही परीक्षा में कदाचार पर भी रोक लगाने पड़ेगें। बिहार के अन्तर्गत शिक्षण वातावरण ठीक करने के लिये, सुधारने के लिये यह जरुरी है कि शिक्षकों के वेतन का भुगतान ठीक समय पर किया जाय। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज भी बहुत सारे शिक्षकों के वेतन का भुगतान बहुत दिन से लम्बित है, जिसके कारण पढ़ाई सही ढंग से नहीं हो पाता है-शिक्षकों और छात्रों का सहयोग लेना बहुत जरुरी है। अभी भी जो सिंडीकेट या सिनेट हैं या यूनिवर्सिटी में जो यूनियन हैं, उनका चुनाव अभी तक नहीं हो पाया है, इसको ठीक ढंग से नियमित कराना होगा और समय पर चुनाव करना पड़ेगा।

सरकार शिक्षा बजट बनाते समय इस बात का ध्यान रखे कि जो सहायता केन्द्र सरकार से मिलती है वक्त-वे-वक्त ठीक ढंग से लें। राज्य सरकार द्वारा मैचिंग ग्रान्ट के अभाव में केन्द्र से जो सहायता मिलनी चाहिये वह नहीं मिल पाता है। उपयोगिता सर्टिफिकेट नहीं देने के कारण पिछले दो वर्ष में बिहार का करोड़ों रुपया लैप्स कर गया और बिहार का

शिक्षा जगत घाटा में रहा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बिहार के अन्तर्गत देहाती हाई स्कूल को अनुदान के तौर पर एक लाख रुपया केन्द्र सरकार खेलकूद (स्टेडियम) हेतु तैयार थी, बिहार सरकार को इसमें सिर्फ 15 हजार रुपंया देने की बात थी, लेकिन बिहार सरकार के द्वारा 15 हजार रुपया नहीं दिये जाने के कारण एक लाख रुपया जो लाभ मिलता स्कूलों को, उस योजना से बिहार सरकार लाभान्वित नहीं हो सकी। यदि 15 हजार रुपया दे दी होती तो अगले साल तक बिहार ज्यादा इस योजना का लाभ उठा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि 1990 से मैट्रिकुलेशन की परीक्षा में प्रैक्टिकल एक्जामिनेसन कंपसरी कर दिया गया है लेकिन प्रैक्टिकल एक्जामिनेसन के लिए बहुत कम उच्च विद्यालयों में प्रैक्टिकल का सामान है। जबकि इसके लिए केन्द्र सरकार ने विगत दो वर्षों में तीन करोड़ पैंसठ लाख तैतालिस हजार पांच सौ रुपए, प्रयोगशाला निर्माण के लिए दिया है लेकिन हम लोग सही ढंग से इसका उपयोग नहीं कर पाये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यदि बिहार सरकार इसका उपयोग सही ढंग से कर लेती, तो आज हमारे सारे हाई स्कूलों के लिए प्रैक्टिकल का सामान मुहैया हो जाता परंतु हम इसे वंचित रह गये। उपाध्यक्ष महोदय, संस्कृति प्रोत्साहन के सवाल पर मैं कहना चाहता हूं कि संस्कृति का प्रोत्साहन करने के लिए संस्कृति संस्थानों को जो मदद दिया जाता है उसकी जांच करायी जानी चाहिए और

जो संस्थान संस्कृति के प्रोत्साहन में लगे हुए है। उन्हें प्रोत्साहन मिलना चाहिए। आज बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो नेग्लेक्टेड है। और बहुत सी ऐसी संस्थाओं को भी अनुदान दिया जाता है जिसका बंदरबांट होता है। राज्य के भीतर और बाहर भी अपने सांस्कृतिक प्रस्तुतिकरण के लिए प्रसिद्ध "इप्टा" जैसे संस्थानों को प्रोत्साहित करने में योगदान दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, हम आये दिन अखबारों में पढ़ते है कि बड़े पैमाने पर पुरातत्व एवं ऐतिहासिक महत्व की मूर्तियों की चोरी होती है जो रोज-रोज अखबारों में निकलता है। महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन द्वारा तिब्बत से लायी गयी बहुत सारी पुस्तकें पाण्डूलिपियों एवं पेन्टिंग अभी भी असुरक्षित पड़े हुए है।। इसलिए इसकी उच्च स्तरीय जांच करायी जाय सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा की दिशा में शीघ्र कार्रवाई की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा। अभी बिहार में अठारह हजार प्राथमिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं। बिहार के अन्तर्गत बिहार शिक्षा सेवा, अवर शिक्षा सेवा, स्कूल इन्सपेक्टर से लेकर के तमाम शिक्षा पदाधिकारी हड़ताल पर हैं। जिला स्कूल, के टीचर भी स्ट्राईक पर है। जिसके चलते प्रा० एवं मा० विद्यालय शिक्षकों को तीन माह से वेतन का भुगतान नहीं हुआ है और सारे बिहार की शिक्षा जगत में अराजकता की स्थिति पैदा हो गयी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक दो बातें और कहना चाहता हूं। पूर्णिया जिलान्तर्गत एक ट्रेनिंग कॉलेज

खोला गया है जिसमें वहां के सेक्रेटरी बीस-बीस हजार रुपए लेकर करोड़ों रुपए जमा किये है।। इस सेक्रेटरी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कारवायी जानी चाहिए। हमारे खगड़िया जिला में विगत दों वर्षों से जिला शिक्षा पदा० अनुमण्डल शिक्षा पदाधिकारी के पद, डिस्ट्रीक्ट स्कूल सब-इन्सपेक्टर का पद रिक्त है, इन रिक्त पदों को अविलम्ब भरा जाय।

अन्त में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे जिला में मात्र एक ट्रेनिंग स्कूल है जिसमें एक सौ छात्रों का नामांकन का प्रावधान था परंतु पिछले सरकार ने इसे घटाकर मात्र पचास कर दिया। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि पूर्व में निर्धारित एक सौ छात्रों के नामांकन के प्रावधान को पुनः बहाल किया जाय। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अंत में हजारीबाग में जो विनोवा भावे यूनिवर्सिटी खोला गया है, उसका न तो कोई साइनबोर्ड ही है और न कोई अस्तित्व ही है, इसलिए बजाप्ता वहां यूनिवर्सिटी खोला जाय।

श्री स्टीफन मरांडी : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में जो मानव संसाधन विकास विभाग का बजट पेश है। मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज बिहार के अंदर मुख्यमंत्री जी जो भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए एक बहुत बड़ा अभियान चला रखा है, उससे मैं उम्मीद रखता था कि शिक्षा के क्षेत्र में भी वे भ्रष्टाचार उन्मूलन का अभियान चलायेंगे, लेकिन आज तक वैसा देखने को नहीं मिला।

उन्होंने आज बिहार के वाइसचांसलर को बदला है और उनका मानना है कि शिक्षा जगत में सुधार करें। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस बात को ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि आज बिहार के अंदर में 6 विश्वविद्यालयों में एक आदिवासी वाइसचांसलर का होना बहुत जरूरी था, जो इन्होंने नहीं किया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं भ्रष्टाचार के मामले में सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि आज इन्टरमिडिएट कौंसिल की वजह से भी सरकार की बदनामी हो रही हैं, मुख्यमंत्री जी वे सारी बातों को देखें। इसलिए मैं मांग करता हूं और सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि इन्टरमिडिएट कौसिल को खत्म करें, इसे समाप्त करें और युनिवर्सिटी को सौंप दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, आज हमलोगों को उम्मीद था कि जो हमलोग झारखंड क्षेत्र से आते है।, श्री जय प्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी की स्थापना छपरा में किया गया वैसा ही आंदोलन संथालपरगना में झारखंड लोगों द्वारा किया जाता रहा है कि संथलपरगना में सिद्धों कानो विश्वविद्यालय की स्थापना हो। हमलोगों को काफी उम्मीद थी, कि जनता दल की सरकार आयी है, एक परिवर्तन आया है और इस सरकार से जो हमलोगों ने बहुत वर्षो से उम्मीद लगाये हुए थे, वह इस सरकार से पूरी होगी कि दुमका में सिद्धो कानो विश्वविद्यालय की स्थापना होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम होगा कि केन्द्र सरकार भी इसके लिए काफी चिन्तित है और प्लानिंग कमीशन के मेम्बर श्रीवास्तव साहब आये थे और उन्होंने भी कहा था कि

संथालपरगना के अंदर में एक विश्वविद्यालय का होना बहुत जरूरी है। उपाध्यक्ष महोदय, दो वर्षों से वहां के छात्रों द्वारा आंदोलन चलाया गया है, लेकिन आज तक सिद्धो कानो विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय सरकार द्वारा नहीं किया गया है। जिस तरह से श्री जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय की स्थापना आज हुई, लेकिन साउथ बिहार में कोई भी विश्वविद्यालय की घोषणा सरकार ने नहीं किया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उम्मीद करूंगा कि जब सरकार का जवाब होगा, तो सरकार इस संबंध में भी जवाब दें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि आज जो छोटानागपुर और संथालपरगना में जो कॉलेज खोले जा रहे है। वे व्यावसायिक दृष्टिकोण से नहीं खोले जा रहे हैं, वहां आर्थिक संकट का सामना करते हुए, वहां की मैनेजमेंट कमिटी बड़ी मुश्किल से कॉलेज चला रही है। फैकल्टी वाइज यूनिवर्सिटी रूल्स के प्रोविजन के मुताबिक एक लाख रुपया विश्वविद्यालय जमा शुल्क लेता है। आर्थिक पिछड़ापन को ध्यान में रखते हुए छोटानागपुर और संथालपरगना के लिए इस तरह का प्रावधान किया जाय कि जमा शुल्क से वहां के महाविद्यालयों को बरी किया जाय। दुमका के अंदर में दो कॉलेज चल रहे है। ए० एन० कॉलेज और एस०पी० कॉलेज। इनमें नामांकन कराने में दिक्कत होती है, क्योंकि मात्र दो ही कॉलेज हैं और वहां के छात्रों की आर्थिक क्षमता नहीं है कि वे बाहर जाकर विद्या अध्ययन करें। इसलिए वहाँ पर जो पुराने कॉलेज चलाये जा रहे हैं, उसको अविलंब सरकार अधिग्रहण कर लें। उपाध्यक्ष

महोदय, भागलपुर विश्वविद्यालय के अन्तर्गत तमाम महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी है, मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि 1976 के बाद सें सरकार ने किसी भी तरह का शिक्षकों का पद सृजन करने का काम नहीं किया, जिसकी वजह से आज़ उन कॉलेजों के तमाम विभागों में शिक्षकों की कमी है। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि पद का सृजन किया जाय और शिक्षकों की नियुक्ति की जाय। आज तदर्थ नियुक्तियों में जो गड़बड़ी हुई है, वह सदन के तमाम सदस्यों को और सरकार को मालूम हैं रांची विश्वविद्यालय के अंदर में जितनी गड़बड़ियां हुई है, शिक्षकों के तदर्थ नियुक्ति में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भागलपुर विश्वविद्यालय के जो वाइसचांसलर थे, उन्होंने स्वजातीय को ही तदर्थ नियुक्ति में रखा और वे ही आज एजिटेशन चलवा रखें है कि तमाम तदर्थ शिक्षकों की नियमित किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि उसमें आरक्षण की नीति नहीं लागू की गयी है इसलिए तदर्थ शिक्षकों की जो नियुक्ति हुई है उस पर पुनर्विचार होना चाहिए और सरकार इसमें आरक्षण नीति लागू करके तमाम तरह के शिक्षकों के पद पर नियुक्ति करे ताकि पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि क्षेत्रीय भाषा के विकास के लिए संथालपरगना में तीन महाविद्यालयों में संथाली की पढ़ाई हो रही है लेकिन बहुत आश्चर्य की बात है कि प्राईमरी सेक्सन में संथाली की पढ़ाई नहीं हो रही है और सरकार ने सिर्फ कॉलेजों में ही संथाली की पढ़ाई की व्यवस्था की है। मैं

सरकार से जानना चाहता हूं कि बिना प्राईमरी स्तर पर पढ़ाई किए, बिना विद्यालय स्तर पर पढ़ाई किए कॉलेज में संथाली की पढ़ाई कैसे कर सकते हैं ? मैं मांग करता हूं कि प्राइमरी स्तर पर भी संथाली की पढ़ाई की जाय और उच्च विद्यालय स्तर पर भी संथाली की पढ़ाई की जाय। इसके साथ-साथ मैं मांग करता हूं कि जैसे मदरसा, संस्कृत बोर्ड का गठन किया गया है उसी तरह से जनजातीय भाषा बोर्ड का गठन किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कि जनजातीय भाषा एकेडमी कई जनजातीय भाषाओं को मिलाकर बनी है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि उसमें से संथाली भाषा एकेडमी को अलग किया जाय। छोटानागपुर और संथालपरगना में जितने प्रोजेक्ट स्कूल खोले गए हैं जिनके बारे में माननीय सदस्य श्री नामधारी जी ने भी सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है कि आज आमरण अनशन पर बिहार की शिक्षक और शिक्षिकाएं बैठी हुई हैं और उस पर सरकार को विचार करना चाहिए। आज हमारे यहां संथालपरगना में कई प्रोजेक्ट स्कूल चलाए जा रहे हैं। वहां की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि मैनेजमेंट कमिटी जिस कमिटी के द्वारा वह स्कूल संचालित है वह लोगों को वेतन नहीं दे सकती है और वे लोग काफी मुश्किल से शिक्षा अध्यापन का कार्य कर रहे हैं इसलिए प्रोजेक्ट स्कूल के ऊपर सरकार को विचार करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि वहां की एक विशेष जाति पहाड़िया है। बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए, बालिकाओं की शिक्षा के लिए बहुत जोर दिया है। पहाड़िया जाति के लिए पहाड़िया आवासीय विद्यालय खोले गए हैं लेकिन

आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कोई भी महाविद्यालय की स्थापना पहाड़िया जाति के लिए नहीं की गयी है। आवासीय विद्यालय पहाड़िया जाति के लिए खोला गया है इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि पहाड़िया जाति के लिए महाविद्यालय स्तर पर भी आवासीय महाविद्यालय खोला जाय ताकि पहाड़िया जाति के लोगों को उच्च शिक्षा प्राप्त हो सके और जिनकी आबादी दिन प्रतिदिन घट रही है उनके विकास के लिए रास्ता प्राप्त हो सके। उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं मांग करता हूं कि प्राईमरी शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है, हाई स्कूल के शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है तो उसके लिए संथालपरगना और छोटानागपुर के लोगों के लिए अलग बोर्ड होना चाहिए। आरक्षित पद जो आदिवासी और हरिजन के लिए और छोटानागपुर और संथालपरगना में जो शिक्षकों को नहीं दिया गया है, आजउतक पद नहीं भरे गए हैं उनको भरने के लिए, आरक्षण से भरने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान आपके माध्यम से आकृष्ट करते हुये कहना चाहता हूं कि आज जो वहां पर शिक्षा में गड़बड़ियां हैं उसको दूर किया जाय। पिछली बार शिक्षा में प्रोन्नति दी गयी उसमें काफी अनियमितता बरती गयी है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार शिक्षा में दी गयी प्रोन्नतियों में हुयी अनियमितता की जांच करावें। इन्हीं शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री कृष्णदेव सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे बिहार में शिक्षा का स्तर काफी गिरा हुआ है 40 साल तक देश और बिहार में शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी इसके

लिये जिम्मेवार है। कांग्रेस शासन काल के तमाम मुख्यमंत्रियों ने जनता के सामने ढ़िढ़ोरा पीटते रहे कि जनता को साक्षर बनायेंगे और अभी तक बिहार में मात्र 26 प्रतिशत पुरूष साक्षर हैं महिलायें मात्र 12-14 प्रतिशत साक्षर हैं। इसके लिये निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के लोग जिम्मेवार हैं। जनता दल की सरकार ने जो मूल्यांकन किया है कि शिक्षा जगत के माफिया मंत्र को समाप्त करेंगे। कई वक्ताओं ने भी शिक्षा माफिया तंत्र के बारे में जिक्र किया है। कांग्रेस के माननीय विधयक भी माफिया तंत्र के बारे में बोले है।। आई०पी०एफ० की समझदारी पूरे बिहार की जनता जानती है कि ाबिहार में कई शिक्षा माफिया हैं लेकिन बिहार के सबसे बड़े शिक्षा माफिया आज कांग्रेस (आई०) के वरिष्ठ नेता हैं। अखबारों में समाचार प्रकाशित होते रहता है कि कांग्रेस विधायक दल अनेकों कॉलेज और स्कूल चला रहे हैं और करोड़ों रुपया कमा रहे हैं।

(शोरगुल)

श्री शकील अहमद : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी व्यवस्था है। इसी सदन में दो चार दिन पहले माननीय अध्यक्ष ने नियमन दिया था कि कोई भी माननीय सदस्य सदन के किसी सदस्य के प्रति कोई आरोप लगाना चाहें तो पहले अध्यक्ष के चैम्बर में बातें कर लें और लिखित दें। जबतक वे ऐसा नहीं करते तबतक सदन में कोई आरोप किसी सदस्य के खिलाफ नहीं लगा सकते। माननीय सदस्य ने उप नेता का जिक्र किया है इसलिए माननीय सदस्य का इस तरह पदनाम का उल्लेख करना गलत है।

सदस्यगण : नाम नहीं लिया गया है।

श्री शकील अहमद : उपाध्यक्ष महोदय, विधायक दल का उप नेता कौन है ? क्या इसको बिहार की जनता नहीं जानती है ? माननीय सदस्यगण नहीं जातने हैं। यदि मैं कहूं कि मुख्यमंत्री माफिया गिरोह के सदस्य हैं तो क्या आप कहेंगे कि नाम नहीं लिया गया। माननीय सदस्य द्वारा कांग्रेस के विधायक दल के उपनेता का जिक्र किया गया है।

उपाध्यक्ष : शांति। यह ठीक है सदन की परिपाटी है कि इस सदन के किसी भी माननीय सदस्य के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता है जबतक लिखित रूप में आरोप लगाने के पहले आसन को नहीं दे दिया जाता है और अनुमति नहीं ले ली जाती। यदि पदनाम से किसी व्यक्ति विशेष का नाम स्पष्ट हो वैसे हालत में भी पदनाम का उल्लेख नहीं किया जाय। माननीय सदस्य, श्री कृष्णदेव सिंह यादव जी आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री कृष्णदेव यादव : उपाध्यक्ष महोदय, आज बिहार के स्कूलों, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में पूरी तरह से अराजकता व्याप्त है। हर जगह गुंडा-गर्दी है और मंत्री लोग इनको बढ़ावा देते हैं। कांग्रेसी शासन काल में नेतरहाट स्कूल में, जो एक नामी-गिरामी स्कूल हैं। 12 साल तक प्राचार्य की बहाली नहीं हो सकी और जनता दल की नई सरकार, जो अभी सत्ता पक्ष में हैं, एक प्राचार्य की बहाली किये भी हैं तो अस्थाई पद पर बहाली किये हैं। बिहार के जो पूंजीपति हैं सामंत हैं, धन्ना सेठ हैं, भूतपूर्व मंत्री हैं वर्तमान मंत्री हैं उनके बाल-बच्चों के पढ़ने-लिखने के लिए देहरादून, तिलैया,

नेतरहाट आदि अलग स्कूलें है। लेकिन बिहार के जो किसान हैं, मजदूर हैं, आम जनता हैं उनके बाल-बच्चों को पढ़ने-लिखने के लिए जो प्राथमिक विद्यालय बने हुए हैं उनके भवन गिरे हुए हैं, उनमें शिक्षक नहीं हैं, अगर शिक्षक हैं तो वे पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आज आजादी के 42 साल के बाद गांवों में बहुत सारे स्कूल पेड़ों के नीचे चलते हैं शांति निकेतन की तरह। तो हम सरकार से मांग करेंगे कि प्रत्येक गांव में कम से कम एक प्राथमिक विद्यालय खोला जाएं और प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक अवश्य हों। अभी भी बिहार के 30 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में सिर्फ एक ही शिक्षक पदस्थापित हैं और 30 प्रतिशत गांवों में विद्यालय हैं ही नहीं। बहुत सारे स्कूलों में शिक्षक पढ़ाने जाते ही नहीं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं हिलसा क्षेत्र में घूम-घूम कर देखा हूं, स्कूलों के बारे मे जानता हूं कि शिक्षक लोग स्कूलों में पढ़ाने जाते ही नहीं हैं और उनको तनख्वाह मिलती रहती है। उच्चाधिकारी लोग ऐसे शिक्षकों को संरक्षण देते हैं। इस तरह आज किसान के बच्चों के भविष्य के साथ, आम जनता के बच्चों के साथ भविष्य के साथ, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।

(इस अवसर पर श्री इन्दर सिंह नामधारी ने सभापति का आसन ग्रहण किया)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि छोटानागपुर और संथाल परगना के इलाके में जो सही रूप में शिक्षण संस्थाएं चल रही हैं,

सरकार उनको अधिग्रहण नहीं कर रही है और उसमें कोताही करती है। दूसरी जगहों पर जो फर्जी शिक्षण-संस्थाएं चल रही हैं सरकार उनका अधिग्रहण कर रही है।

सभापति महोदय, कल से ए०आई०एस०एफ० ऑल इन्डिया स्टूडेंट एसोशिएसन के नेतृत्व में छात्र लोग आमरण अनशन किये हुए हैं, पटना विश्वविद्यालय परिसर में। उनकी जायज मांगें हैं जिनमें पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मांग प्रमुख है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब बिहार के छात्रों के नेता थे तो उसी पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष थे और जब कभी भी आंदोलन हुआ करता था, और जब भी उन्हें माईक पर खड़ा होने का मौका मिलता था तो बहुत ही जोरदार शब्दों में भाषण दिया करते थे पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाए। आज वे स्वयं बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे हैं, उनके ही दल का केन्द्र में सरकार है। इसलिए सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जनता दल की सरकार से जानना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आप कितने दिनों के अंदर पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनायेंगे। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या आप पटना विश्वविद्यालय के परिसर में आमरण अनशन पर बैठे छात्रों से मिलने जायें या नहीं ? वे छात्र आमरण अनशन पर उस समय तक बैठे रहेंगे, जबतक कि मुख्यमंत्री वहां उनसे मिलने नहीं जायेंगे, उनकी बातें सुनने नहीं जायेंगे।

पूरे बिहार के कॉलेज साल में आधा दिन बंद रहता है कॉलेजों में कभी छात्र, कभी शिक्षक और कभी कर्मचारी

हड़ताल पर रहते हैं, इसके लिये जिम्मेवार सरकार है। सरकार उनकी जायज मांगों को पूरा नहीं करती है इसलिए उनको हड़ताल पर रहना पड़ता है। हड़ताल पर रहने से पढ़ाई नहीं होती है। परीक्षा में कदाचार होता है, पूरे बिहार में, जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा कि परीक्षा में चोरी होती है। बिहार में परीक्षा और कदाचार को अलग-अलग नहीं किया जा सकता है क्योंकि इन दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध बन गया है, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं और इसके लिए न छात्र दोषी हैं, न शिक्षक। दोषी है सरकार। सरकार की नीति जब तक ठीक नहीं होगी, तबतक पढ़ाई नहीं हो सकती है।

सभापति :- अब आपका समय समाप्त हो गया । कृपया बैठ जायं।

"उम्रे दराज मांग कर, लाये थे चार दिन,
दो आरजू में कट गये, दो इंतजार में।"

श्री कृष्णदेव सिंह यादव : सभापति महोदय, मुझे दो मिनट का और समय दिया जाय, बोलने के लिए। अब मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए यह कहना चाहता हूं कि बहुत सारे स्कूल, कॉलेज हैं जो वित्त रहित हैं उनको वेतन नहीं मिलता है। वे भूखे रहकर कैसे पढ़ा सकते हैं, कैसे शिक्षा का स्तर ऊँचा हो सकेगा, निरक्षरता कैसे दूर हो पायेगी। पिछली सरकार ने निरक्षरता को दूर करने के लिए तात्कालिक व्यवस्था के आधार पर अनौपचारिक शिक्षा, वयस्क शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया था, उसी आधार पर वर्त्तमान सरकार चल रही है। अस्थायी शिक्षण संस्थाओं के जरिये कैसे बिहारवासियों को शिक्षित कर सकेंगे। तो मैं,

आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि चाहे कांग्रेस की सरकार रहे या वर्त्तमान जनता दल की, सरकार जो भी रहे किन्तु जो, पूंजीपति है, सामंत हैं वास्तव में उनके बच्चों के लिए तो अनेकों अंग्रेजी स्कूल खुले हुए हैं, बाकी बिहार की आम जनता, जिनके बाल बच्चे अनपढ़ हैं, निरक्षर हैं उनको आप सचमुच पढ़ाना नहीं चाहते हैं, ताकि ये लोग समझदार न हों, इनका दिमाग विकसित नहीं हो और ये लोग जनता पर अपनी हुकूमत चलाते रहें। इच्छा शक्ति की बात करते हैं। मुख्यमंत्री जी, लेकिन इनके पास लोगों को शिक्षित करने के लिए इच्छा शक्ति नहीं है।

इतना ही कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री वासुदेव सिंह : सभापति महोदय, बहुत संक्षेप में मैं आपके सामने स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। मेरा शिक्षा विभाग से सम्बन्ध पिछले 40 वर्षों से रहा है। भारतवर्ष में शिक्षा का प्रतिशत 36 और बिहार में यह प्रतिशत 26 है। भारत सरकार और बिहार सरकार बराबर साक्षरता पर जोर डालती रही है, लेकिन सिर्फ भाषण में, जिसका प्रतिशत आपलोग दे रहे हैं।

सभापति महोदय, जहां तक बिहार सरकार की शिक्षा के मांग का प्रश्न हैं, मैं समझता हूं कि एक वर्ष का जो बजट है वह जबतक शिक्षा विभाग पर खर्च नहीं कर दिया जाय तब तक कुछ उद्धार होनेवाला नहीं है। आजादी के बाद या आजादी के पूर्व सबसे ज्यादा बदनाम विभाग कोई था, तो वह था पुलिस विभाग लेकिन आज शर्म के साथ नाम लेना पड़ता है कि शिक्षा विभाग उसका भी रिकार्ड तोड़ चुका है और

इसका क्या कारण है ? यह इससे और भी स्पष्ट हो जायेगा कि संविधान जिस समय लागू हुआ था, संविधान के प्रथम चैप्टर में प्रावधान किया गया था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जायेगी, लेकिन सभापति महोदय, सदन के माध्यम से सरकार के सामने यह बोलने का प्रयास कर रहा हूं कि आजादी के इतने दिनों बाद भी संविधान के प्रथम चरण में लिखा हुआ है, उसके आधार पर क्या 6 से 14 वर्ष को अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जा सकेगी।

सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त मैं बहुत कम बोलना चाहता हूं। पूर्व की सरकार ने भी प्रत्येक प्रखंड में एक-एक प्रोजेक्ट विद्यालय खोलने की योजना बनायी थी, उसके सर्कुलर में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि हर प्रखंड में बालिका परियोजना विद्यालय चयनित की जायेगी। इसमें यह भी था कि जैसे ही विद्यालय का चयन होगा, वह गवर्नमेंट स्कूल के समकक्ष हो जायेगा। इस पर पूर्व की सरकार और वर्तमान सरकार, जहां तक मेरा ख्याल है, ध्यान नहीं दे रही है। ऐसे विद्यालय मात्र 300 सरकार ने खोले हैं और उनके वेतन का भुगतान भी नहीं कर सकी है यह सरकार उसके शिक्षक-शिक्षिका आज आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। यह स्थिति क्यों है ? आप इसको शीघ्र देखें और वेतन भुगतान करावें।

इतना कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

सभापति : श्री एन०ई० होरो।

(अनुपस्थित)

श्री नरेन्द्र सिंह : सभापति महोदय, मानव संसाधन विकास विभाग की जो मांग प्रभारी मंत्री के द्वारा पेश की गयी है उसके समर्थन में बोलने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं।

सभापति जी, आपके माध्यम से मैं अपने मा० सदस्यों को बता देना चाहता हूं कि मेरी कोई मजबूरी नहीं है और न मैं यह कहने जा रहा हूं कि जो आपने इतनी देर अनर्गल प्रलाप किया है, उसको मैं गौर से सुनता रहा। मैं कहना चाहता हूं कि जो राशि हमने निर्धारित की, वह राशि आज के सन्दर्भ में, आज की तिथि में इस पूरे बिहार के आठ करोड़ लोगों के लिये बहुत छोटी राशि है। राशि में कटोती का सवाल तो मेरी समझ से उठना ही नहीं चाहिए, जितना खर्च होना चाहिये, हमारे अपने संसाधनों की कमी के कारण, उतना खर्च हुआ नहीं है और खर्च कर नहीं पा रहे हैं।

सभापति जी, मौलिक सवाल यह है कि कई वर्षों से, जब से यह सदन चल रहा है, हम पिछले छः वर्षों से सदन में हैं, यह औपचारिक बातें चलती रहीं। मांग पेश करना, कटौती का प्रस्ताव पेश करना और फिर हंगामा करके अपने-अपने घरों में चल देना। शिक्षा नीति की गूढ़ अवस्था के बारे में 40 वर्षों से हम चर्चा करते रहें, उसमें कोई मौलिक सुधार की आवश्यकता जो आज के सन्दर्भ में कमी है, करना नहीं है। यह सदन के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हल्का सवाल नहीं है।

लेकिन सभापति महोदय, यह कोई जनता दल की हुकूमत के लिये चुनौती नहीं है बल्कि चुनौती है जो हम 324 सदस्य चुनकर इस सदन में आये हैं उनके लिये, उनके लिये यह

सोचने का सवाल है कि आजादी के 43 साल के बाद भी हमारी कोई शिक्षा नीति नहीं है। हमने राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत होकर अपनी कोई शिक्षा नीति का निर्माण नहीं किया है। आपने देखा होगा सभापति महोदय, हमारे विद्यालयों की क्या स्थिति है, कहीं छप्पर नहीं है, कहीं घर विद्यालय का नहीं है, कहीं विद्यार्थी नहीं है तो कहीं शिक्षक नही हैं। आपने यह भी देखा और सुना होगा कि किस तरह बेईमानी के तहत लोगों ने कॉलेजों को अंगीभूत करने का काम किया है फर्जी काम किया है। चाहे इस तरफ के सदस्य हों या उस तरफ के, दोनों तरफ के सदस्य इस बात को जानते हैं और दोनों तरफ के सदस्य इस बात को महसूस करते हैं इसीलिये आज यह जो चिन्ता का विषय है उसकी ओर में आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस मूल्क को आजाद करने के लिये श्री सुभाष बोस, श्री भगत सिंह, श्री चन्द्रशेखर आदि जिन लोगों ने कुर्बानियां दी थी उनकी कुर्बानी को याद रख रहे हैं और महात्मा गांधी के देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सृजन किया है तो साफ इसका जबाव है कि नहीं किया है बल्कि आज ब्रिटिश राज की शिक्षा नीति को हम चला रहे हैं। कभी दो वर्षीय डिग्री कोर्स रखते हैं तो कभी त्रिवर्षीय, कभी इन्टर कौंसिल बनाते हैं तो कभी तोड़ते है। इसीलिये हमें एक नई शिक्षा नीति की आवश्यकता है और वह नई शिक्षा नीति वैसी होनी चाहिए जिसमें चाहे राष्ट्रपति का बच्चा हो या भंगी का बच्चा हो सबको समान शिक्षा दी जाय। सभापति महोदय, आपने अखबारों में देखा है जिला स्कूल के शिक्षक एवं जिला के शिक्षा पदाधिकारीगण कई महीनों से हड़ताल कर रहे हैं, आप

जानते हैं कौन लोग हड़ताल पर हैं ? हड़ताल वही लोग कर रहे हैं जिनके पास सभी डिग्रियां है और वे विद्यालय, महाविद्यालय चला रहे हैं उनको मुक्त कर दीजिये क्योंकि जब पैसा सरकार के खजाने में नहीं है और केवल 4-5 महीना पहले यह विपक्ष की सरकार बनी है तो वे हड़ताल पर क्यों चले गये ? आप जानते हैं कि विपक्ष की सरकार ने सत्ता की बागडोर हाथ में पकड़ते ही विद्यालय सेवा बोर्ड के अध्यक्ष को गिरफ्तार किया, मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष को गिरफ्तार किया है इसलिये हमारी सरकार धन्यवाद का पात्र हैं आप जानते हैं गबन करनेवालों को, घपला करनेवालों को हमारी सरकार पकड़ने का काम अभी शुरू किया है ओर करती रहेगी। इन बोर्डो के तहत जो करोड़ों रुपये का गोलमाल करते रहे हैं उनको कभी हमारी सरकार माफ नहीं करेगी बल्कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देगी। इस तरह करोड़ों रुपये का गबन करनेवाले बेईमान लोग किनकी छत्रछाया में रहकर इस राज्य में पनपते रहे हैं।

श्री युगेश्वर झा : सभापति महोदय, विद्यालय सेवा बोर्ड के अध्यक्ष को और मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष को जेल में दिया है ठीक किया है लेकिन आप पता लगाईये कि बेल लेकर, जमानत लेकर इसको रफा-दफा करने के लिये कौन घूम रहे हैं। इस ओर नजर रखिये।

श्री रमेन्द्र सिंह : सभापति महोदय, इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिये हमारी सरकार तैयार है लेकिन इसके लिये जो सहयोग की जरूरत है ताकि जहां कहीं खामियां हों उसको दूर किया जाय और जो दोहरी शिक्षा नीति हमारी है

उसको समाप्त किया जाय क्योंकि इस दोहरी शिक्षा नीति के चलते इनके लड़के अच्छे स्कूलों में पढ़कर ऑफिसर बनते हैं और गरीबों के लड़के सरकारी स्कूलों में पढ़कर किरानी बनते हैं। आपने देखा होगा सभापति महोदय, किसी विद्यालय में छप्पर नहीं है तो किसी विद्यालय में शिक्षक नहीं हैं तो किसी विद्यालय में विद्यार्थी नहीं है और यह शिक्षा नीति जिस बुनियाद पर खड़ा किया है उस शिक्षा नीति की बुनियाद इतनी कमजोर है कि वह हमेशा हिलती-डोलती रही है। एक अनौपचारिक और एक वयस्क शिक्षा नीति है। इस शिक्षा नीति के माध्यम से राबड़ी बांटने का काम किया गया है। एक तरफ बड़े लोगों के लड़के दून, दिल्ली और ग्वालियर में पढ़ते हैं और दूसरी ओर जो पढ़े-लिखे लोग नहीं हैं, अज्ञानी हैं, जिनको शिक्षा नहीं मिली है, उनको इन पद्धति की शिक्षा देकर राबड़ी बांटते हैं प्रसाद बांटते हैं। यह प्रसाद उनके पोकेट में जाता है। यह जिम्मेवारी पिछली 40 साल की कांग्रेस सरकार की बनती है।

सभापति महोदय मैं कहना चाहता हूं कि अनौपचारिक शिक्षा और वयस्क शिक्षा में बड़े पैमाने पर लूट है। एक बेईमान पदाधिकारी श्रीमती शांति सिंह की पोस्टिंग वयस्क शिक्षा में किया गया है। वयस्क शिक्षा का केन्द्र कहीं नहीं चलता है। श्रीमती सिंह चकाई में कभी भी नहीं गयी हैं। चकाई में कहीं भी केन्द्र नहीं चलता है। अनुदेशकों को पैसा नहीं दिया जाता है। अनुदेशकों से 5-5 सौ रुपए लेकर 10 महीने तक की बहाली की जाती है।

सभापति महोदय, लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस शिक्षा पद्धति को बदलना होगा। सीनेट और सिंडीकेट को कायम

करने के लिए हमारी सरकार दृढ़ संकल्प है। माननीय सदस्य श्री सुशील कुमार मोदी हमारे पुराने दोस्त हैं और छात्र नेता भी हैं। तमाम विश्वविद्यालयों के छात्र संगठनों का चुनाव निर्धारित समय पर करना चाहिए जिससे छात्रों को साझेदारी मिल सके। पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए पूरे सदन को प्रस्ताव करना चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पूरी ताकत से पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय की मान्यता दिलाने के लिए पहल करनी चाहिए आज हमारी सरकार भ्रष्ट और निकम्मे पदाधिकारियों पर अंकुश लगा रही है मैं अपने सदन के साथियों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि वे दलबंदी, गुटबंदी से ऊपर उठकर बेईमान, लूटेरे और माफिया को पकड़ने में और नया बिहार बनाने में मुख्यमंत्री जी का हाथ मजबूत करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री राजकुमारी हिम्मत सिंहका : सभापति महोदय, जब बिहार की शिक्षा नीति पर कुछ विचार-विमर्श करना चाहते हैं तो मैं एक ही बात कहना चाहती हूं कि शिक्षा नीति में कुछ परिवर्तन, कुछ संशोधन होनी चाहिए। इसके तौर-तरीके वाद-विवाद का विषय है सोच-समझकर कानून बनाना चाहिए। जब भी कोई कानून बनता है तो यह देखा जाता है कि इस कानून का क्या असर होता है और इसको कैसे लागू किया जायेगा। वहां के हवा-पानी और पोपुलेशन को देखते हुए कानून बनना चाहिए। अगर बिहार सरकार बिहार की जनता के लिए शिक्षा नीति बना रही है तो बिहार की हवा-पानी और पोपुलेशन को मद्देनजर रखते हुए शिक्षा नीत बननी

चाहिए। अगर शिक्षा में कुछ कटौती करनी है तो मैं समझती हूं कि यह ठीक नहीं होगा, बल्कि शिक्षा पर खर्च होने की संभावना है। बिहार का एक पार्ट आदिवासी क्षेत्र है और आदिवासी बाई नेचर पिछड़ा होता है और सरकार को विशेष रूप से आदिवासी पर विशेष खर्च करना पड़ेगा। तभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत हिन्दुस्तान के नक्शे पर बिहार को ला सकते हैं। अगर ये विश्वविद्यालय की परीक्षाओं की बात करते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं तो जितने विश्वविद्यालय आज बिहार में हैं, उनमें एकरूपता होनी चाहिये, एक नीति होनी चाहिये। अगर हम संथाल परगना और छोटानागपुर, साउथ बिहार को छोड़ दें तो उसमें कहीं भी सही ढंग से पैसा खर्च नहीं हो रहा है। इससे मतलब नहीं है कि सरकार ने कोई संशोधन कर दिया। जरूरत पड़ने पर हर समय नये-नये प्रयोग होने चाहिये, नये-नये परिवर्तन शिक्षा नीति में होने चाहिये और देखना चाहिये कि हम किस तरह से इसे इंप्रूभ कर सकते हैं। जिस तरह से आदमी के शरीर में मस्तिष्क का स्थान है, वही स्थान शिक्षा का है। शिक्षा सजगता लाता है, शिक्षा से लोगों का मानसिक विस्तार होता है, समाज की तरक्की होती है। अभी जब मुख्यमंत्री जी ने विश्वविद्यालयों के भी०सी० बदले तो क्या कारण था कि एक भी हरिजन, महिला या आदिवासी को भी०सी० नहीं बनाया? क्या इस पद के लिये महिलायें सक्षम नहीं थीं, आदिवासी सफिशिएंट नहीं थे, हरिजन सफिशिएंट नहीं थे? अगर नहीं हैं तो क्या आपको इसके लिये कुछ काम करना है और अगर करना है तो सरकार उस दिशा में कुछ करे। यही मेरा कहना है।

श्री लालू प्रसाद : सभापति महोदय, माननीय मंत्री श्री रामजीवन बाबू ने मेरी अनुपस्थिति में वर्ष 89-90 का वार्षिक प्रतिवेदन वितरित किया था। इस पर माननीय सदस्य श्री रमेंद्र बाबू ने यह आपत्ति उठायी थी कि श्री आर० के० श्रीवास्तव, सचिव, शिक्षा विभाग के दस्तखत से यह वितरण हुआ। यह नहीं होना चाहिये था। मंत्री जी को इस पर खेद प्रकट करना चाहिये। मैंने वर्ष 88-89 का वार्षिक प्रतिवेदन देखा। इस पर श्री ब्रजभूषण सहाय, सचिव, मानव संसाधन विभाग ने दस्तखत किये थे। उनके दस्तखत के द्वारा यह वितरित किया गया था। इसलिये इस पर आसन की ओर से नियमन यह होना चाहिये कि निश्चित रूप से जो वार्षिक प्रतिवेदन का वितरण किया जाता है, वह माननीय मंत्री जी के दस्तखत से वितरण हो। इस पर नियमन हो जाना चाहिये।

श्री राजो सिंह : सभापति महोदय, मंत्री जी के दस्तखत से होना चाहिये। आप पुराना हवाला दे रहे हैं। यह तो वही बात हुई कि एक बार एक जज साहब ने चोर को पकड़ लिया। तब चोर ने कहा कि हमको ही पकड़ लिया, पहले वाले चोर को नहीं पकड़ा ? यही गलती आपका शिक्षा विभाग कर रहा है।

श्री लालू प्रसाद : ऐसी बात नहीं है। चोर वाली बात नहीं है। बात है वैधानिक सवालों की। हमारे पदाधिकारी, कमिश्नर के दस्तखत से यह वितररित हुआ, निश्चित रूप से शर्मनाक बात, हमारे लिये है। उस पर हमने खेद प्रकट किया है। लेकिन इससे पहले भी तो प्रतिवेदन वितरित हुए हैं उस समय क्या हुआ था ?

सभापति : इसमें एक बात तो निश्चित रूप से है। जब परंपरा चलती है तो नया अधिकारी देखता है कि पुराने वाले ने क्या किया है। निश्चित रूप से इस पर मंत्री महोदय के हस्ताक्षर होने चाहिये और उनके नाम से वितरण होना चाहिये, आसन की तरफ से यही निर्णय लिया जाता है।

श्री त्रिवेणी तिवारी : सभापति महोदय, अभी जो प्रश्न माननीय मुख्यमंत्री ने उठाया है, इस सदन में पहले भी, आज से साल भर पहले इसी तरह का प्रश्न आया था जो उस वक्त भी वहीं किया गया था जो आज हमारे प्रभारी मंत्री ने किया है।

श्री राजो सिंह : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि इस सत्र में जो हमलोगों को डायरी मिली है, उसमें मुख्यमंत्री के स्थान पर डा० जगन्नाथ मिश्र और उनके मंत्रिमंडलीय सदस्य का नाम है। इस पर उन्होंने कहा था कि इसमें संशोधन कर माननीय सदस्यों मे वितरित करवा देंगे लेकिन अभी तक ये वितरित नहीं करवा पाये हैं जिससे कि आम लोगों की कठिनाई होती है।

सभापति : डा० जगन्नाथ मिश्र जी का नाम मुख्यमंत्री के स्थान पर रहने में आपको क्या कठिनाई होती है ?

श्री लालू प्रसाद : सभापति महोदय, लेकिन कागज का नकली नाव ज्यादा दिन तक नहीं चलती है। माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है उसमें सुधार करा दिया जायेगा।

श्री राजो सिंह : सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री ने इसी सदन में आश्वासन दिया था कि इसमें संशोधन कर

बंटवा देंगे तो लगता है कि आपका भी कागज का नाव इस तरफ से उस तरफ ढुलमुल रही है।

श्री जीतवाहन वराईक : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से छोटानागपुर और संथाल परगना के शिक्षा व्यवस्था की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं। छोटानागपुर और संथालपरगना में शिक्षा की स्थिति बहुत ही गम्भीर है। शिक्षा के नाम पर अभी तक वहां कुछ नहीं हुआ है। बहुत से ऐसे महाविद्यालय हैं जिनको अपना भवन नहीं है। बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जहां के लिए यदि शिक्षक की इकाई 7 है तो मात्र वहां एक-दो शिक्षक ही हैं। इस तरह से पूरे छोटानागपुर और संथालपरगना में शिक्षा की अव्यवस्था है। जिला शिक्षा पदाधिकारी घूस लेकर विद्यालयों में शिक्षक का पदस्थापन करते हैं। जहां सात यूनिट है, वहां मात्र दो शिक्षक हैं। फिर दूसरी जगह जो सात यूनिट हैं वहां चौदह शिक्षक कार्यरत हैं। लोहरदग्गा जिलान्तर्गत एक और भी स्कूल है वहां पर 14 शिक्षक कार्यरत हैं। इसलिए, छोटानागपुर और संथालपरगना में जितने भी स्कूल हैं, उनमें से कुछ स्कूल को छोड़कर बाकी स्कूलों में शिक्षकों का अभाव है। सभापति महोदय, मेरा दूसरा सुझाव है कि बिहार विद्यालय बोर्ड का विभाजन होना चाहिए। पटना में बिहार विद्यालय बोर्ड बनाने के कारण वहां छोटानागपुर और संथालपरगना के शिक्षकों को पहुंचने में काफी कठिनाई होती है और उनकी रहने के लिए कोई व्यवस्था भी नहीं है। रिजल्ट भी काफी देर से निकलता है। इसलिए छोटानागपुर और संथालपरगना के लिए एक अलग बोर्ड रांची में होनी चाहिए। आप देखेंगे कि रांची

विश्वविद्यालय में इंटर परीक्षा की डेढ़ हजार कापियां गुम है। इसके बावजूद भी उनके रिजल्ट सामने आए हैं। आप सोच सकते हैं कि उस रिजल्ट का क्या आधार हो सकता है। इस पर सरकार को उचित जांच करानी चाहिए। सभापति महोदय, मेरा एक सुझाव और है। शिक्षा जगत से राजनीति को समाप्त करने के लिए सरकार कोई ठोस कदम उठाये। गुमला में एक कार्तिक उरांव महाविद्यालय है जो बहुत ही गरीब और पिछड़ी है क्षेत्र है और उस कॉलेज में 1974 से ही बी०एस०सी० की पढ़ाई हो रही है लेकिन वहां न तो वनस्पति शास्त्र और न जीव विज्ञान के ही व्याख्याता हैं। उनका ट्रान्सफर हो गया है और वे दूसरे जगह चले गये हैं। विश्वविद्यालय मुख्यालय के चारों तरफ व्याख्याताओं की भीड़ है। फिर भी इन क्षेत्र में व्याख्याताओं की कमी है। राजकीय ट्रेनिंग कॉलेज में आज भी डोनेशन के माध्यम से नामांकन किया जाता है। महिला शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय में भी इसी तरह की बातें हो रही है। यहां स्थानीय लोगों को प्राथमिकता न देकर बाहरी लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। सरकार को इसकी अविलम्ब जांच करानी चाहिए। आप जानते हैं कि राजकीयकृत और अराजकीयकृत के सवाल को लेकर हड़ताल चल रहे हैं। और शिक्षक तथा उसके अधिकारी हड़ताल पर हैं। सरकार इस संबंध में कोई निर्णय लेकर हड़ताल को समाप्त करावे। उनके हड़ताल से पूरे राज्य में अव्यवस्था हो रही है। सभापति महोदय, अब मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने पूरे राज्य में 600 प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय खोलने की घोषणा की है। प्रथम चरण में 100 विद्यालय खुलेंगे, इसकी स्वीकृति मिल गई है। दूसरे चरण में 300 विद्यालय खुली है,

उसकी स्वीकृति नहीं मिली है। इसके चलते आज शिक्षक हड़ताल पर हैं और अनशन पर हैं। सरकार उनकी मांग को मानते हुए उनका हड़ताल समाप्त कराये। चूंकि ये चौबीस घंटे से अनशन पर बैठे हुए हैं। अंत में मैं कहना चाहता हूं कि बी०पी०एस०सी० की परीक्षा में, यद्यपि कि कॉलेजों में नगपुरिया, कुरक और मुन्डारी विषयों की पढ़ाई होती है, फिर भी शामिल नहीं किया गया है। अतः मेरा आग्रह होगा कि इन विषयों को भी बी०पी०एस०सी० की परीक्षाओं में शामिल किया जाए।

श्री राजो सिंह : सभापति महोदय, भारतीय जनता दल के एक माननीय सदस्य ने कहा है कि बाहर में हड़तालियों पर लाठी चार्ज हुआ है जिसमें माननीय सदस्य राम सुन्दर दास को भी चोट लगी है। जरा पता किया जाए हुजूर कि उनको भी चोट तो नहीं लगी है क्योंकि वे जब सदन में आ रहे थे, उनका पैर लड़खड़ा रहा था।

सभापति : माननीय सदस्य राजो बाबू यह हमें पता है कि श्री राम सुन्दर दास जी को चोट नहीं लगी है।

श्री राम सुन्दर दास : सभापति महोदय, माननीय सदस्य को मालूम होनी चाहिए कि यह चोट पुरानी चोट है।

सभापति : माननीय सदस्य राम सुन्दर दास जी को शारीरिक चोट तो नहीं लेकिन मानसिक चोट है।

श्री एन० ई० होरो : सभापति महोदय, इस प्रांत का यह दुर्भाग्य है कि 40 वर्षों तक शिक्षा विभाग में एक्सपेरिमेंट ही होता रहा है जिसके कारण शिक्षा में अव्यवस्था व्याप्त है और

शिक्षा का स्तर नीचे चला गया है। इसका कारण यह है कि सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है। चाहे कांग्रेस की सरकार हो या जनता दल की सरकार हो, ये शिक्षा के मामले में एडहौक व्यवस्था करते चले आए हैं। इससे शिक्षा जगत को काफी नुकसान हुआ है। इनके पास शिक्षा के लिए कोई नीति नहीं है। बिहार में वित्तीय सहायता रहित और वित्तीय सहायता सहित जो शिक्षण संस्थाएं चल रही हैं मेरा कहना है इसके लिए भी कोई नीति निर्धारित करनी चाहिए। सरकार को शिक्षा के प्रसार के लिए यह चाहिए कि यदि कोई प्राइवेट एजेन्सी शिक्षण संस्था खोलता है तो उसके लिए सरकार को अलग से मदद करनी चाहिए तभी शिक्षा का प्रसार होगा। सभापति जी, चूंकि सरकार के कार्य शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे हैं, उनके कामों को शिक्षा क्षेत्र में प्राइवेट एजेन्सी बहुत हल्का करती है, लेकिन सरकार उसकी मान्यता, वित्त रहित के तौर पर ही देती है। ऐसा नहीं होना चाहिये, उन्हें भी सरकार को आर्थिक मदद करनी चाहिये।

अल्पसंख्यक संस्थाओं के बारे में माननीय लालू प्रसाद जी ने कहा कि हम उन संस्थाओं को करोड़पति बनने नहीं देंगे, लेकिन मैं उनका ध्यान संविधान के अर्टिकल 30 की ओर खींचते हुये कहना चाहूंगा कि उनको संविधान के आर्टिकल 30 के तहत अधिकार है कि वे अपनी इच्छा के अनुसार शिक्षण संस्था खड़ा कर सकते हैं। यह दूसरी बात है कि कोई अन्य अल्पसंख्यक संस्था गलती कर सकती है, तो उसके चलते दूसरी संस्थाओं को दंडित नहीं किया जाना चाहिये।

सभापति जी, मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहूंगा कि राज्य के अन्दर जो इंटरमिडियेट काउंसिल है और बिहार परीक्षा समिति है, उसको तोड़ दे चूंकि इससे काफी धांधली हो रही है। कम से कम अगर उसे तोड़ नहीं सके तो छोटानागपुर और संथाल परगना के लिये अलग से इंटरमिडियेट काउंसिल और स्कूल एक्जामिनेशन बोर्ड की स्थापनना करें। चूंकि वहां के लोगों को पटना आने पर बहुत खर्च करना पड़ता है और घूस देना पड़ता है फिर भी उनका काम नहीं होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री बालिक राम : सभापति जी, माननीय मंत्री ने जो मांग पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और साथ ही साथ यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने शिक्षा जगत को समाप्त कर दिया है, आप उसी रास्ते पर नहीं चलें। आज शिक्षा के मामले में बहुत बदनामी है चाहे वह विश्वविद्यालय की हो या विद्यालय या महाविद्यालय की। यहां के डिग्री धारियों को बिहार के बाहर बहुत ही हीन भावना की दृष्टि से देखा जाता है। जब वे नौकरी खोजने के लिये बाहर जाते हैं। अभी-अभी हमने पिछले दिनों देखा कि मैंट्रिक की परीक्षा होने वाली थी तो नये मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम सुधार करेंगे और लगा था कि कुछ सुधार होगा, लेकिन जब परीक्षा होने लगी तो वही पुराना तमाशा शुरू हुआ और जो मैट्रिक का रिजल्ट जून में ही हो जाता था, यह आज जुलाई बीत रहा है, किन्तु अभी तक रिजल्ट नहीं हुआ है। गया में हमने देखा कि मैट्रिक की परीक्षा केन्द्र से बाहर

लड़के दे रहे थे। इतना ही नहीं परीक्षा चल रही थी और उधर फोर्म भी भरे जा रहे थे। तो आपको इसमें सुधार करना पड़ेगा। कांगेस पार्टी ने तो शिक्षा को समाप्त कर ही दिया है, लेकिन आप भी इस दिशा में कुछ कर नहीं रहे हैं।

दूसरी बात सभापति जी, मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाना चाहते हैं तो पहले आप प्राइवेट स्कूलों को बन्द करें। आज शहरों में ही नहीं देहातों में भी प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं। सरकारी स्कूल से लोगों का भरोसा मिटता जा रहा है। पचास प्रतिशत सरकारी स्कूल के तो भवन नहीं हैं। 1986 से ही शिक्षकों की बहालियां नहीं हुई है। हजारों स्कूल बगैर शिक्षकों के रन कर रहे हैं। हाई कोर्ट द्वारा रोक लगा हुआ है। सभापति जी, आप गौर से देखेंगे तो यही लगेगा कि आज शिक्षा मात्र मुट्ठी भर लोगों के सिवाय सामान्य लोगों के बच्चों को सही माने में नहीं मिल पा रही है। वे मुट्ठी भर लोगों का लड़के ही प्रान्तीय या राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा या प्रतियोगिताओं में पास कर रहे हैं, अन्य मात्र बेकार शिक्षितों की श्रेणी में संख्या बढ़ा रहे हैं।

सभापति महोदय, मेरा यह कहना था कि हजारों लोग टीचर्स ट्रेनिंग करके बैठे हुए हैं और उनकी नियुक्ति नहीं हो रही है। इन लोगों को नियुक्त किया जाए।

सभापति महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में शिक्षकों की जो नियुक्तियां हुयी है, उसमें हरिजन आदिवासी के कोटे की पूर्ति नहीं हुयी है। मुख्यमंत्री जी हरिजन आदिवासी कल्याण की लम्बी चौड़ी बाते करते हैं, लेकिन मुझे उनकी नीयत पर संदेह है,

क्योंकि आज भी हरिजन और आदिवासियों की नियुक्ति नहीं हो रही है। आप अपनी नीयत को साफ करके बोलें कि इनके बारे में आप क्या कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना आसन ग्रहण करता हूं।

श्री सुधीर महतो : सभापति महोदय, आज शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार फैली हुयी है। आजादी के बियालिस साल के बाद भी शिक्षा व्यवस्था एक ही तरह की चल रही है और उसमें भ्रष्टाचार व्याप्त है। पूरे राज्य में या पूरे भारतवर्ष में आज शिक्षा व्यवस्था में सबसे अच्छी व्यवस्था होनी चाहिये, लेकिन आप देखें कि आज सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार यदि है तो शिक्षा व्यवस्था में है। हमारे छोटानागपुर-संथालपरगना में आज जितनी शिक्षण संस्थाएं होनी चाहिये, आज उतनी शिक्षण संस्थाएं नहीं हो पायी हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हरिजन और आदिवासी छात्रों को जो स्टाइपेन्ड मिलती है, वह नियमित रूप से नहीं मिल पाती है। आज बहुत से शिक्षण संस्थान ऐसे हैं, जिनके छात्रों को छः महीने और एक साल से स्टाइपेन्ड नहीं मिल रहे हैं। सभापति महोदय, एक प्रखंड में चार स्कूल खोलने का प्रावधान सरकार ने किया है, लेकिन छोटानागपुर और संथालपरगना में किसी प्रखंड में दो और किसी प्रखंड में एक स्कूल है। कई शिक्षण संस्थाएं ऐसे हैं जो सुचारू रूप से चल रहे हैं और उनमें सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन उनका सरकारीकरण नहीं हो सकता है और सरकारीकरण नहीं होने के कारण सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। हजारीबाग जिला में 6 ऐसे स्कूल हैं जो चल रहे हैं और

सरकारीकरण के सारी शर्तों को पूरा करते हैं, लेकिन उसका सरकारीकरण नहीं किया गया है। सभापति महोदय, हमारे छोटानागपुर और संथालपरगना में अधिकतर स्कूलों में देखें तो आप पायेंगें कि उनको भवन नहीं है और पेड़ के नीचे शिक्षा दी जाती है। आज वहां जिला में जो डी०एस०ई० कार्यालय है। उनमें भ्रष्टाचार व्याप्त है, इसकी कारण शिक्षण संस्थाओं की ऐसी खराब व्यवस्था है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री जोगेश्वर गोप : सभापति महोदय, मैं संक्षेप में ही अपनी बात कहना चाहता हूं। अभी लगभग 10 हजार वयस्क और अनौपचारिक शिक्षा के कर्मचारी और शिक्षक बेली रोड को जाम किये हुए हैं। सभापति महोदय, आपको मालूम होना चाहिये कि इनको मानदेय के रूप में 100 रुपया से लेकर 250 रुपया तक पैसा मिलता है। सरकार की जो नीति निरक्षरता निवारण की है, उसको मद्देनजर रखते हुए ऐसे चालीस हजार लोगों के पैसे में वृद्धि होनी चाहिए। आप इन तमाम लोगों को मानदेय के रूप में रखे हुए हैं - इसके लिये आपको विचार करना चाहिये और इनके पैसे को बढ़ाना चाहिये। जब आप बेरोजगारों में 100 रुपया महीना बेरोजगारी भत्ता दे रहे है तो ऐसे काम करनेवाले जो लोग हैं, उनको 105 रुपया और 125 रुपया देना बिलकुल नाजायज बात है।

मैं कहना चाहता हूं कि जो बातें सरकार के सामने लाई गयी है। सरकार ने कहा है कि वह मामला सेन्ट्रल गवर्नमेंट का है मेरा नहीं है और इस तरह से इस बात को टाला जा रहा है। जबकि दूसरी सरकारों ने उनकी मदद की है। सुप्रीम

कोर्ट का फैसला भी उनके पक्ष में है कि काम के लिए वेतन मिलना चाहिए न कि मानदेय। सभी को समान रूप में देखना चाहिए। दूसरी बात जो बालिका उच्च विद्यालय की बात कर रहे हैं उनके शिक्षक अभी हड़ताल पर हैं। आपने योजना बनाई है कि नारियों में शिक्षा के प्रसार के लिए कम से कम हर प्रखंड में एक स्कूल होना चाहिए। अभी तक 5 सौ स्कूल खोले जा चुके हैं 150 स्कूलों में शिक्षकों को वेतन भत्ता मिलता है बाकी को नहीं दी जा रही है। इसाके खिलाफ वहां आन्दोलन चल रहा है। वहां पर लोग अनशन पर हैं। इसलिए इस बात में हस्तक्षेप किया जाना चाहिए उनके दुख दर्द को सुनना चाहिए।

श्री समरेश सिंह : सभापति महोदय, शिक्षा मनुष्य की आत्मा है और शिक्षा नीति सरकार की नियत का मापदंड है। मैं समझता हूं जिस ढंग से वर्त्तमान सरकार भ्रष्टाचार उन्मूलन में और अपराधकर्मियों के दमन करने की दिशा में जोश-खरोश के साथ बढ़ रही है उसी जोश खरोश और शक्ति के साथ शिक्षा नीति के साथ बढ़ना चाहिए। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि भाषण नहीं कुछ काम करना चाहिए। ऐसे बहुत से हाई स्कूल है, प्राईमरी स्कूल हैं जहां हजारों की संख्या में शिक्षकों के पद रिक्त हैं। लोग कहते हैं कि यह सरकार शिक्षा के बारे में उदासीन है। अगर उदासीन नहीं रहती तो शिक्षकों की बहाली क्यों नहीं हो रही है। बिना शिक्षक की पढ़ाई संभव नहीं है। आज बेरोजगारों का तायदाद बढ़ रहा है जो शिक्षक की नौकरी की तलाश में पागल की तरह घूम रहे हैं। आज नौजवान लोग

नौकरी के लिए तड़प रहे हैं। इसलिए सरकार का पहला काम होना चाहिए कि जितने भी शिक्षक के पद रिक्त हैं वे चाहे हाई स्कूल में हो मिडिल स्कूल में हो, कालबद्ध योजना के अन्दर शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए क्योंकि उच्च शिक्षा ही जीवन को आगे बढ़ाता है। मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दूबे जी की सरकार ने वित्त रहित शिक्षा को समाप्त कर दिया था। मैं मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सख्ती के साथ निश्चित रूप से वित्त रहित शिक्षा व्यवस्था को खत्म करें और शिक्षा की व्यवस्था में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। शिक्षा सही हो, गुणवत्ता हो इस दृष्टि से कारगर कदम उठाना चाहिए। वित्त रहित शिक्षा को तुरन्त समाप्त करें। लालू प्रसाद जो विद्यार्थी के नेता रहे हैं जो जय प्रकाश नारायण के सम्पूर्ण क्रांति के अग्नि से निकले हैं वह निश्चित रूप से मानते हैं कि कुलपतियों की जो बहाली हुई है इस संबंध में निश्चित रूप से आप देखें कि कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं हो।

(इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

लेकिन जो शिक्षा हो उस शिक्षा की उपयोगिता होनी चाहिए यह मैं कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि बिहार के अन्तर्गत छोटानागपुर, संथालपरगना वनांचल क्षेत्र शिक्षा की दृष्टि से उतना ही पिछड़ा है जितना कि आर्थिक दृष्टि से। हजारीबाग में संत विनोबा भावे विश्वविद्यालय की स्थापना की सरकार की घोषणा हो चुकी थी। मैं मांग करता हूं कि आदिवासी के नेता सिधो कान्हू को नाम से इसकी स्थापना शीघ्र की जाय ताकि छोटानागपुर

संथालपरगना के जो पीड़ित लोग हैं उच्चतर शिक्षा से वंचित लोग हैं उनके मन में एक आशा की किरण जागे। सही मायने में अगर मुख्यमंत्री अगर इस क्षेत्र में शिक्षा का माहौल बनाना चाहते हैं तो इस यूनिवर्सिटी की स्थापना शीघ्र करें। अध्यक्ष महोदय मैं इस बात को मानता हूं कि बिहार एक बड़ा राज्य है। और यहां जो बिहार सेकेण्डरी एक्जामिनेशन बोर्ड बना है उसके सम्पूर्ण राज्य में समुचित रूप से काम नहीं चल सकता है इसलिए छोटानागपुर संथालपरगना वनांचल माध्यमिक बोर्ड रांची में भी स्थापना हो। ताकि छोटानागपुर, संथालपरगना के विद्यार्थी सारी सुविधाएँ प्राप्त कर सकें अध्यक्ष महोदय, अभी एडल्ट एजुकेशन के हजारों लोग धरना दे रहे हैं एडल्ट एजुकेशन का प्रचार प्रसार होना चाहिए। आज की परिस्थिति में जिस ढंग से काम करना चाहिए वह नहीं हो रहा है। जयप्रकाश नारायण जी कहा करते थे कि निरक्षरता दूर करने के लिए शिक्षा सेना की जरूरत है। शिक्षा सेना अगर भूखा रहेगा, उनका चेहरा मुरझाया रहेगा उनकी आंखों में ज्योति नहीं होगी तो वे हारे हुए लोगों के मन के अन्धकार को दूर करने के लिए शिक्षा के दीप को नहीं जला सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो एडल्ट एजुकेशन के लोग धरना पर हैं उसके बारे में निश्चित रूप से सहानुभूतिपूर्वक विचार होना चाहिए। मैं यह भी कहना चाहता हुं कि शिक्षक हर साल बढ़े। शिक्षकों के साथ जो समझौता किया गया है सरकार को उसे लागू करना चाहिए। निश्चित रूप से उनके पैसे में बढ़ोत्तरी होनी चाहिए, उनकी मांग मान लेनी चाहिए कालबद्ध प्रोन्नति नीति लागू हो ताकि उनका मनोबल बढ़े, शिक्षकों की पढ़ाने की रूचि बढ़े। मैं आपके माध्यम से

मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि शिक्षकों को शिक्षा देने की जिम्मेवारी है, शिक्षा देने के लिए शिक्षक हैं, मैं चाहता हूं कि शिक्षकों को सुविधा निश्चित रूप से मिलनी चाहिए लेकिन शिक्षकों को शिक्षा देने की रूचि बदलनी पड़ेगी।

अब मैं प्रोजेक्ट स्कूल के बारे में कहना चाहता हूं कि प्रोजेक्ट स्कूल के शिक्षक शिक्षिका बहुत परेशान हैं। यहां तीन सौ प्रोजेक्ट स्कूल बचे हैं। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी विद्यार्थी के नेता रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए वे कुछ करना चाहते हैं। इसलिए आप प्रोजेक्ट स्कूल के शिक्षकों की समस्याओं को कोई ठोस निदान निकालें। मुख्यमंत्री जी आप शिक्षा जगत में हिम्मत से आगे बढ़े। आप विख्यात छात्र नेता रहे हैं आपसे छात्रों को बड़ी उम्मीद है वे सोच रहे हैं कि आप उनके लिए कुछ करेंगे। इसलिए शिक्षा की दृष्टि से शिक्षा जगत में कुछ करने के लिए आपको शिक्षा के मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी करनी पड़ेगी। इसके लिए मूल शिक्षा नीति को लेना पड़ेगा। जयप्रकाश जी कहा करते थे कि जबतक दो तरह की शिक्षा नीति रहेगी तबतक तमाम लोगों को एक से आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाने वालों के बेटे आज ऊँचे-ऊँचे पदों पर नौकरियां पा रहे हैं जबकि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र रह रहे हैं। अंग्रेजी पढ़नेवाले हुजूर बनेगा और हिन्दी पढ़ने वाले मजदूर बनेगें इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि प्राइवेट स्कूल को आप समाप्त करें ताकि सारे छात्रों को एक तरह की शिक्षा मिल सके। अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि एक किसान को चार बेटा था तीन बेटा चरवाहा

का काम करता था और एक छोटा बदमाश था। वह स्कूल में पढ़ता था और वह आगे चलकर इंजीनियर बन गया और आज वह बैठकर टी०भी० देखता है और हवाई जहाज से सफर करता है। उसका तीन बेटा आज भूखों मर रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज के युग में सभी लोगों को समान रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए। आप शिक्षा को आगे बढ़ाये, निरक्षरता को दूर करें, शिक्षा का प्रसार करें, इन्हीं शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री उपेन्द्र नाथ दास : अध्यक्ष महोदय, आज बिहार के शिक्षक हड़ताल पर हैं और सदन में शिक्षा विभाग के मांग पर बहस हो रही है। शिक्षकों का वेतन बन्द है, इसलिए शिक्षा मंत्री से मैं निवेदन करूंगा कि वे इस संबंध में भी जवाब दें कि वे क्या करने जा रहे हैं।

अध्यक्ष : शांति, अब सरकार का जवाब होगा।

श्री राम जीवन सिंह : अध्यक्ष महोदय, आज के बहस में जो 13 माननीय सदस्यों ने हिस्सा लिया है, मैं उन सबों को धन्यवाद देता हूं और उन्होंने जो सुझाव दिये हैं, उसके लिए मैं उनको आभार प्रकट करता हूं और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनकी ओर से जो सुझाव दिये गये हैं, उस पर सरकार विचार करेगी और उसे अमल में लाने के लिए सोचेगी। हड़ताल की चर्चा हमारे माननीय सदस्य ने की, हमारे राज्य के विद्यालयों के शिक्षक और दूसरे कर्मचारी जो पिछले कई दिनों से हड़ताल पर हैं। सदन को चिन्तित होना आवश्यक है और सरकार भी इससे कम चिन्तित नहीं है। शायद सदन के माननीय सदस्यों को इस बात की जानकारी

न हो कि हड़ताल शुरू होने के पहले और हड़ताल शुरू होने के बाद मुख्यमंत्री जी के तरफ से, सरकार की तरफ से उनके जो प्रतिनिधि है, जो यूनियन के नेता है। कई बार इस पर बातचीत हुई है और बातचीत का दौर आज भी जारी है। कई बातों पर सहमति भी हुई है, अधिकांश बातों पर सहमति हुई है, उनकी जो मांगें थी, उनकी मांगों पर सरकार और महासंघ के बीच कोई खास मतभेद नहीं है। उनकी मांगों में अधिकांश मांगें सरकार ने मान ली है। बिहार शिक्षा सेवा का वेतनमान बिहार प्रशासनिक सेवा के समतुल्य हो, इस पर सहमति हो चुकी है। प्रोन्नति के मामले पर करीब उनकी सहमति हो चुकी है। अब नियुक्ति के संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि 50 प्रतिशत सीधी नियुक्ति और 50 प्रतिशत प्रोन्नति के आधरार पर होगी। जहाँ तक वेतनमान का सवाल है, उसमें थोड़ा मतभेद है। नया वेतनमान 1500-2750 है, इसके स्थान पर सरकार 1600-2780 का वेतनमान देने के लिए तैयार है, लेकिन उनका कहना है 2000-3500 होना चाहिए। यदि उनकी इस मांग को सरकार मान लेती है तो एक कठिनाई सरकार के सामने खड़ी हो जायेगी, राज्य में उनके समकक्ष के दूसरे जो लोग होंगे, उनको भी यही वेतनमान देने का सवाल खड़ा हो जायेगा, तो फिर आप सोच सकते हैं कि राज्य पर कितना बोझ बढ़ जायेगा। हम सभी महसूस कर रहे हैं कि उनकी जो मुख्य मांगें हैं जैसे-प्रोन्नति का सवाल हो या दूसरी सवाल, कहीं भी कोई असहमति नहीं है, लेकिन फिर भी वे हड़ताल पर हैं। उनके प्रतिनिधियों के साथ कल भी बातचीत होगी। हम सरकार की तरफ से आग्रह करना चाहते हैं, सरकार की मंशा साफ है, उनकी भावनाओं को,

राज्य की स्थिति को देखते हुए, इसी बात पर जिच न हो जाय, राज्य के लिए समस्या न बन जाए, इसलिए हम उनसे और माननीय सदस्यों से भी अपील करते हैं...

श्री रामजतन सिन्हा : उनकी जो मांगें हैं, उनपर आप निर्णय शीघ्र लीजिए और हड़ताल समाप्त कराईए।

श्री राम जीवन सिंह : जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि सरकार की मंशा साफ है, इस पर उनके प्रतिनिधियों के साथ कल भी बातचीत होगी।

अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने प्रोजेक्ट विद्यालय के शिक्षिकाओं के संबंध में जिक्र किया है। सरकार ने बार-बार कहा है और हम आज भी कहते हैं, जो नियमानुकूल होंगे ; उनको मानने के लिए तैयार है, इसमें सरकार को कोई एतराज नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने इस बात का जिक्र किया है और सुझाव दिये हैं कि पटना को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाय। शायद माननीय सदस्यों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि हमारी सरकार ने पटना को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने के लिए यू०जी०सी० से आग्रह किया है कि वह इस पर सहमति दे इसके संबंध में कई बार लिखा गया है।

अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने इस बात का जिक्र किया कि दक्षिण बिहार में एक विश्वविद्यालय की स्थापना हो।

डा० जगन्नाथ मिश्र : 6 नया विश्वविद्यालय बनाने का कानून पास है।

श्री राम जीवन सिंह : मैं यह कह रहा था कि कई माननीय सदस्यों ने इस बात का जिक्र किया कि दक्षिण बिहार में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय। हम सभी जानते है कि वर्त्तमान सरकार, श्री लालू प्रसाद की नेतृत्व वाली सरकार हरिजन, आदिवासी, पिछड़े तमाम लोगों और महिलाओं के उत्थान के लिए काफी चिन्तित है। हमारी सरकार यह घोषणा करना चाहती है कि दक्षिण बिहार में सिदू-कानू विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी, छोटानागपुर सेवा बोर्ड, छोटानागपुर विकास बोर्ड की भी हम स्थापना करेंगे। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि सरकार को सोचने का ढंग क्या है, यह आप महसूस कर सकते है।। जब से यह सरकार आयी है, इस सरकार ने इस बिगड़े हुए माहौल में कुछ करने का इरादा कर रखा है। हमारे माननीय सदस्य श्री युगेश्वर झा बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि 1967 में जब ये सरकार बनी थी और फिर जब 1977 में सरकार बनी थी, तो उसने ऐसा काम किया, जिससे बिहार का अहित हुआ है, बिहार के शिक्षा जगत का अहित हुआ है, तो मैं कहना चाहता हूं 1967 में जब सरकार बनी थी, तो उस सरकार ने अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त किया था। सरकार इस बात को मानती थी जब हमारा देश आजाद हो गया, तो उस देश की भाषा, उसकी मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए। 1977 में स्वर्गीय श्री कर्पूरी ठाकुर जी ने मैट्रीक तक की शिक्षा शुल्क माफ कर दिया था। जिस तरह से हर आदमी को हवा-पानी की जरूरत है, उसी तरह से हर आदमी को शिक्षा अनिवार्य रूप से मिलनी चाहिए और इसी के आधार पर अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त कर, देश की भाषा

मातृभाषा में शिक्षा देने का निर्णय लिया गया था। आज हमारी जो नई सरकार बनी है, उसने इतने कम दिनों में अच्छा काम किया है। मैं माननीय विरोधी दल के नेता की इज्जत करता हूं, सम्मान प्रकट करता हूं। लेकिन जो माहौल बिहार के अन्दर पैदा हुआ है उसके बारे में मैं तीन घटना का जिक्र कर देना चाहता हूं। पहली घटना यह है कि आज से दो साल पहले एक शादी में मैं एक जगह गया हुआ था, एक लड़की की शादी थी, वहां पर उच्चाधिकारी भी बैठे हुए थे उनसे मेरी बातचीत चल रही थी। उनमें से एक के लड़के जो दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, आकर कहने लगा कि पापा, आज के पोलटिसियन को गोली मार देना चाहिए। उनके पिताजी उनको डांट रहे थे, मैंने कहा कि इसपर बिगड़े नहीं। इसका कारण पूछे उसने कहा कि आज बिहार के अन्दर पढ़ाई की क्या स्थिति है समय पर परीक्षा नहीं होती है। आज बिहार के लोग बिहार से बाहर जाकर जो पढ़ते हैं उनकी जो सही कीमत होनी चाहिए, वह नहीं है। दुसरी घटना के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे एक सहपाठी जो कॉलेज के प्रोफेसर है। उनसे एक दिन भेंट हुई तो उसने कहा कि हम तो यही चाहते हैं कि जल्द-से-जल्द जगन्नाथ मिश्र मुख्यमंत्री बन जाएं ताकि मुझे एक अवसर मिल जाये कि घर पर बैठे-बैठे वेतन मिलता रहे। और तीसरी घटना की चर्चा मैं करना चहाता हू कि एक प्रश्न इसी सदन मं आया हुआ था कि क्या आप कॉलेजों को अंगीभूत करना चाहते है। उसके जवाब में हमने बताया कि उस कॉलेज को अंगीभूत करने के लिए क्या शर्तें हैं तो इस पर मालूम हुआ कि पिछली सकार ने ऐसे ही बहुत से

कॉलेजों को सारी शर्तो को ताक पर रखकर अंगीभूत कर दिया। महोदय, आपलोग काफ़ी पढ़े-लिखे आदमी हैं, क्या गौर से सोचा है कि नालन्दा में दूसरे देश से आकर लोग शिक्षा ग्रहण करते थे लेकिन आज बिहार के बाहर चले जायें तो बिहार पर कोई विश्वास नहीं करता है। आज़ हालत यह हो गई है कि सेन्ट्रल स्कूल या नेशनल स्कूल उनमें बिहार के लड़कों का एडमीशन ही नहीं होता है और एडमीशन के लिए जो टोटल मार्क्स रखा गया है उसमें 10% कम करने के बाद ही बिहार के लड़कों का एडमीशन होता है। मैंने कहा कि क्या स्थिति पैदा हो गई है, कहां से स्थिति पैदा हुई, मैं कोई आलोचना के ख्याल से नहीं कहना चाहता हूं लेकिन ऐसी स्थिति पैदा हुई है। आज भुगतना सभी को पड़ रहा है चाहे इस पक्ष के लोग हों या उस पक्ष के लोग हों, सभी को भुगतना पड़ रहा है। बिहार के 8 करोड़ आबादी को रोना पड़ रहा है। आज यह प्रश्नचिह्न लगा हुआ है। कोयला माफिया की तरह दुर्भाग्य से शिक्षा माफिया भी पैदा हुआ और पैदा ही नहीं हुआ बल्कि स्कूलों और कॉलेजों की तरह ट्रैनिंग कॉलेज खोलकर एक व्यवसाय बनाया गया। इसी तरह मेडिकल कॉलेज खोलकर एक व्यवसाय बनाया गया, यह अर्थ कमाने के लिए बनाया गया। इस तरह की बिगड़ी हुई माहौल में हमारी सरकार ने कुछ करने का इरादा रखा और पहला कदम उठाया कि भ्रष्टाचार पर हमला किया जाय। शिक्षा जगत में भी विश्वविद्यालय सेवा बोर्ड, मदरसा बोर्ड तथा इन्टरमीडियट कौन्सिल में इसी तरह की बात चल रही थी। इसपर हमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है लेकिन आज सभी पर हमला बोल कर आक्रमण किया गया है और आक्रमण इसिलए

किया गया कि भ्रष्टाचार वहां से सरकार समाप्त करेंगी। आज इन्टरभ्यू के नाम पर, परीक्षा के नाम पर हर जगह जो स्थिति पैदा हो गई है उसे बारे में मैंने शेक्सपियर के एक लेख को पढ़ा था उसमें वहां का वर्णन करते हुए लिखा था कि–

"Postings & Promotions go by letters & recommendations not by old gradation."

अध्यक्ष महोदय, हमने काम किया है। सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों, अल्पसंख्यक विद्यालयों के शिक्षकों को भी अन्य संस्थानों की तरह नियमानुसार वेतन भुगतान हेतु कारगर कदम उठाये गये हैं। सरकार द्वारा वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। इससे शिक्षा विशेषक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सरकार गुणात्मक विकास कर सकेगी। हरिजन छात्रों के कल्याण हेतु सरकार विशेष रूप से कृतसंकल्प है। प्राथमिक विद्यालयों में विशेष अंगीभूत क्षेत्रों के सभी प्रखंडों में छात्राओं को मुफ्त पोशाक उपलब्ध कराने के लिए 1.25 करोड़ रुपये की योजना चलाई गई है।

अध्यक्ष महोदय, सरकार क्रीड़ा के क्षेत्र में भी सर्वांगीन विकास हेतु कटिबद्ध है। सरकार ने राज्य स्तर पर, एक वृहद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर "स्पोर्टस कॉम्पलेक्स" बनाने का निर्णय लिया है। इसमें केंन्द्र सरकार से भी 50% राशि, अधिकतम 2 करोड़ रुपये उपलब्ध करायी जायगी। इसमें राज्य के खिलाड़ियों के लिए स्विमिंग पुल, जिम्नाजियम, एथलेटिक इत्यादि की सुविधायें उपलब्ध करायी जायगी। इसमें प्रति विद्यालय केन्द्र सरकार द्वारा एक लाख रुपये की राशि उपलब्ध

करायी जायगी जबकि राज्य सरकार का हिस्सा मात्र 15 हजार रुपये मात्र होगा। इसी तरह से राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार की सहायता से जनजातीय क्षेत्र में भी कई काम किये हैं। सरकार शिक्षा जगत से शिक्षा माफिया को खत्म करने का प्रयास करेगी।

श्री अजीत सरकार : सरकार शिक्षा माफिया के बारे में क्या कर रही है ?

श्री राम जीवन सिंह : आपने देखा होगा कि श्री आर० के० पोद्दार को जेल जाना पड़ा और दूसरे लोगों को नेपाल भागना पड़ा है। ये कार्रवाई हमलोगों ने की है। महोदय, इसके साथ ही साथ और जो काम हम करने वाले है। जिसके बारे में मैं सदन को बताना चाहता हूं। आज सवाल उठाये गये वित्त रहित शिक्षा नीति की।

श्री रामजतन सिन्हा : जिन लोगों को आपने जेल भेजा उन्हें हाईकोर्ट में जमानत मिल गई।

श्री रामजीवन सिंह : हाईकोई या किसी दूसरे कोर्ट पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। कोर्ट के चलते जमानत मिल गई। ये लोग (कांग्रेस के लोग) इसकी भी मान्यता समाप्त कर रहे हैं। हाईकोर्ट की पवित्रता, न्यायालय, में भी ये लोग हस्तक्षेप करते हैं। हमारी सरकार नहीं करना चाहती है और न करेगी। महोदय, हम यह कहना चाहते हैं कि जो वित्त रहित शिक्षा नीति है, आपने देखा कि हमने 21-3-1990 को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी कहलवाया कि हम वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करना चाहते हैं और इसके

लिये हम प्रावधान करने जा रहे हैं। महोदय, तदर्थ रूप से जो नियुक्ति हुई है पिछले वर्षों में और उस नियुक्ति में जो घपले हुये हैं इस पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। हरिजन और आदिवासी के नियुक्ति का जो सवाल उठाया गया है उसपर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है इसलिये हम उसको करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। महोदय, हम कहना चाहते हैं कि तदर्थ नियुक्त शिक्षकों के भुगतान के लिये जांच करा रहे हैं।

श्री रामसुन्दर दास : अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने कहा कि हाईकोर्ट ने आरक्षण पर रोक लगा दी है। आरक्षण कांस्टीच्यूशनल क्षेत्र है। ऐसी स्थिति में हाईकोर्ट रोक नहीं लगा सकता है।

अध्यक्ष : अब आप खत्म कीजिए ।

श्री रामजीवन सिंह : 1989-90 में विशेष अभियान चलाकर पूर्व से आये शिक्षकों के रिक्त स्थान पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों से भरने का प्रस्ताव था किन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दिये जाने के कारण नियुक्ति अभी संप्रति स्थगित है। अंगीभूत जो कॉलेज हैं उसके लिये भी सरकार व्यवस्था करने जा रही हैं। इसमें भी आरक्षण नीति की व्यवस्था की जायेगी। इंटरमीडिएट एजुकेशन कांउसिल स्तर पर अभी तीन तरह की व्यवस्था है। पहला अंगीभूत और सबंद्धन प्राप्त डिग्री कॉलेजों में इंटरमीडिएट स्तर की पढ़ाई हो रही है और दूसरा बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल के स्तर भी इंटरमीडिएट कॉलेज खुले हैं। तीसरा, राज्य सरकार ने राज्य के लगभग 150 विद्यालयों को उत्क्रमित करके उसमें प्लस टू स्तर की पढ़ाई की व्यवस्था भी की है।

स्पष्ट है कि इस तरह से इंटरमीडिएट शिक्षा के बिखरे रहने के कारण उनका नियंत्रण और संचालन नहीं हो रहा है। इस स्थिति को सुधारने के लिये हमारी सरकार विचार कर रही है कि इंटर स्तर की शिक्षा को विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा से सर्वथा पृथक करके इसका संचालन और नियंत्रण किया जाये। विश्वविद्यालय की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये हमारी सरकार कारगर कदम उठा रही है। विश्वविद्यालय की आर्थिक स्थिति खराब करने में विश्वविद्यालयों का अपना उत्तरदायित्व है। विश्वविद्यालय बिना सरकार की अनुमति से नये मदों पर राशि खर्च कर देते हैं। असृजित पदों पर नियुक्त कर वेतन भुगतान कर रहे हैं सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमान के भिन्न उच्च वेतनमान देकर वेतन निर्धारण कर दिया हैं इन सभी बातों की जांच की जायेगी। तथा विश्वविद्यालयों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने की कार्रवाई की जायेगी।

अध्यक्ष : मंत्री अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री रामजीवन सिंह : महोदय, बालिका विद्यालय के संबंध में हम काम करने जा रहे हैं। प्रोजेक्ट विद्यालय के संबंध में मेरी सरकार इस परियोजना के नियमों को ध्यान में रखते हुये त्वरित गति से लागू करने के लिये प्रयत्नशील है और हमने यह निर्णय लिया है कि इन विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्तियाँ विद्यालय सेवा बोर्ड के माध्यम से ही होगा। इस तरह से मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार इतना काम करना चाहती है, इन तमाम चीजों को करना चाहती है। इसी के साथ हम माननीय राजो बाबू से आग्रह करते है कि वे अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राजो सिंह आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेंगे ?

श्री राजो सिंह : अध्यक्ष महोदय, महिला शिक्षा के बारे में बड़ी लम्बी चौड़ी बातें हुई थी लेकिन इस संबंध में माननीय मंत्री ने कुछ भी नहीं कहा और न ही कोई घोषणा की इसलिये मैं अपना प्रस्ताव वापस नहीं लूंगा।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि-

"इस शीर्षक की मांग 10 रुपये से घटायी जाये"

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि-

"शिक्षा, खेल और युवा सेवाएं तथा कला और संस्कृति" के संबंध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 12,46,00,95,500 (बारह अरब छयालीस करोड पन्चानवें हजार, पांच सौ) रु० से अनधिक राशि प्रदान की जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मांग स्वीकृत हुई।

सामान्य लोकहित के विषय पर विमर्श :

अध्यक्ष : अब मैं डा० जगन्नाथ मिश्र स०वि०स० द्वारा प्रस्तुत पटना शहर एवं आसपास के गांव में हैजा तथा गंदगी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में दी गई सूचना पर विचार-विमर्श को लेता हूं।